रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2005/आश्विन 13, 1927
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2005/ASVINA 13, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2005

अंतिम जांच परिणाम

विषय:—यूरोपीय संघ (जर्मनी से इतर), मैक्सिको तथा ब्राजील से एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. पृष्ठभूमि तथा प्रारंभ:

सं0 14/32/2003-डीजीएडी- जबकि मै0 अपार इण्डस्ट्रीज लि0 (जिसे इसके बाद आवेदक कहा गया है) ने एक पूर्णतया प्रलेखित आवेदन-पत्र जिसमें यूरोपीय संघ (जर्मनी से इतर), ब्राजील तथा मैक्सिको (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़ अथवा एनबीआर(जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के पाटन और उन्हें इससे हुई परिणामी क्षति के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995(जिसे इसके बाद नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 अगस्त, 2004 की अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार पाटनरोधी जांच आरंभ की जिससे तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और

पाटनरोधी शुल्क, यदि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए यह पर्याप्त हो तो उसकी सिफारिश की जा सके ।

2. और जबकि प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 2005 की अधिसूचना द्वारा अपने प्रारंभिक जांच-परिणामों को अधिसूचित किया जिसमें संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध माल पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की । केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 7 जून, 2005 की अधिसूचना सं0 53/2005-सीमाशुल्क द्वारा इस संबद्ध माल पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किए जाने के बाद इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों सहित सभी इच्छुक पक्षकारों, संबद्ध देशों के सहयोगकारी निर्यातकों, घरेलू उद्योग और इस जांच में सहभागिता करने वाले आयातकों को दिनांक 30 मार्च के प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रतिलिपियां भेजीं और उनसे अनुरोध किया कि वे प्रारंभिक जांच-परिणामों संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर अपने-अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें ।

ii) संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों ने जांच आरंभ होने के बाद अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दर्ज कराए और इस जांच में पूर्णरूप से सहयोग किया:-

1. मै0 निट्रिफ्लेक्स, डो ब्रासिल एस.ए. इंडस्ट्रिया ई. कॉमर्सियो, ब्राजील(निट्रिफ्लेक्स)
2. मै0 पैट्रोफ्लेक्स, इंडस्ट्रिया ई. कॉमर्सियो, एस.ए. ब्राजील (पेट्रोफ्लेक्स)

ब्राजील के उपरोक्त निर्यातकों के अलावा मै0 लानसेस एलास्टिमियर, एसएएस, फ्रांस ने केवल सामान्य प्रत्युत्तर दायर किया और जांच में पूरी तरह से भाग नहीं लिया ।

iii) संबद्ध माल के किसी भी आयातक ने कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर निर्धारित रूप तथा तरीके में दर्ज नहीं कराया । किंतु, निम्नलिखित आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों ने इस जांच में सहभागिता की और अपने-अपने प्रत्युत्तर/टिप्पणियां उन्हाने इस जांच के विभिन्न चरणों में दर्ज कराएं-

1. आल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन;
2. आल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स;
3. मै0 गेट्स इंडिया प्रा0 लि0;
4. मै0 सनडीम इंडस्ट्रीज लि0;
5. मै0 लांसेस इंडिया लि0

iv) जांच के प्रारंभ तथा प्रारंभिक जांच-परिणामों के प्रत्युत्तर में इच्छुक पक्षकारों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया और प्राधिकारी ने उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच इस जांच परिणाम में की है । संक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ विभिन्न इच्छुक पक्षकारों की टिप्पणियों और प्रारंभिक जांच-परिणामें से पहले उनमें उठाए गए मुद्दों को इस जांच परिणाम में दोहराया नहीं गया है । सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को संक्षिप्त किया गया है और जैसाकि कतिपय इच्छुक पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, उनके अलग-अलग निवेदन को ज्यों का त्यों उद्धृत किए बिना प्रत्येक का संक्षिप्त रूप इस जांच परिणाम में शामिल किया गया है ।

v) प्राधिकारी ने प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में विभिन्न इच्छुक पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की है । ऐसी जानकारी जो अपनी किस्म से गोपनीय होती हैं अथवा जिसे इच्छुक पक्षकारों द्वारा अगोपनीय सारांश के साथ-साथ गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे गोपनीय माना गया है । इस अधिसूचना में **** पर व्यक्त जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी है और प्राधिकारी ने इसी पर उक्त नियमावली के तहत विचार किया है ।

vi) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे इच्छुक पक्षकारों को निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

vii) प्राधिकारी ने दिनांक 17 मई, 2005 को एक सार्वजनिक सुनवाई की जिससे सभी इच्छुक पक्षकारों को अपने-अपने विचार सामने रखने का अवसर दिया जा सके । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मौखिक निवेदनों के आधार पर पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदनों को इस जांच के प्रयोजनार्थ रिकार्ड में लिया गया है ।

viii) प्राधिकारी ने दिनांक 20 जुलाई, 2005 को सभी इच्छुक पक्षकारों को प्रकटन विवरण-पत्र जारी किए जिसमें प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को सूचित किया गया और प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित निर्धारण पद्धति की सूचना दी गई और उक्त प्रकटन विवरण-पत्र पर इच्छुक पक्षकारों की टिप्पणियाँ मांगी गई । इच्छुक पक्षकारों की टिप्पणियों, जहां तक वे संगत रहीं, पर प्राधिकारी द्वारा इन जांच-परिणामों में विचार किया गया है ।

ix) जांच दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जैसाकि प्रारंभिक जांच-परिणामों में अधिसूचित किया गया है, इस जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़ है । प्रारंभिक जांच-परिणामों में यह स्पष्ट किया गया कि जांच में एनबीआर के सभी ग्रेडों को केवल गांठ रूप में कवर किया गया है । अतः संबद्ध देशों से निर्यातित एनबीआर के अन्य रूपों को विचाराधीन उत्पाद के तहत कवर नहीं किया गया है । इच्छुक पक्षकारों द्वारा एक ऐसा संदेह व्यक्त किया गया कि क्या विचाराधीन उत्पाद में कार्बोजिलेटिड एनबीआर जिसका गांठ रूप में विनिर्माण होता है, को भी कवर किया गया है । यह भी स्पष्ट किया गया कि मौजूदा जांच में केवल सामान्य एनबीआर को गांठ रूप में कवर किया गया है जिसमें पाउडर एनबीआर तथा कार्बोजिलेटिड एनबीआर शामिल नहीं है ।

5. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद को एनबीआर के गांठ रूप तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि पिछली जांच में एनबीआर की सभी किस्मों को कवर किया गया था, चाहे उसका रूप कैसा भी रहा हो । उन्होंने तर्क दिया है कि गांठ रूप में एनबीआर तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से एनबीआर का प्रतिस्थापनीय है और इसीलिए एनबीआर के

सभी रूप समान उत्पाद हैं जिसकी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है । अतः इस मामले में श्रेणीकरण करना यथोचित नहीं होगा ।

6. प्राधिकारी नोट करता है कि " विचाराधीन उत्पाद " इस उत्पाद के दायरे को परिभाषित करता है जो इस जांच तथा घरेलू उद्योग के "समान उत्पाद" के संबंध में इस उत्पाद के पाटित आयात के तथाकथित प्रभाव के कारण शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ अभिज्ञात किया गया है । अतः, "विचाराधीन उत्पाद " बिल्कुल ऐसे उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है जिसका तथाकथित पाटन हो रहा है और वह ऐसा उत्पाद नहीं है जिससे तथाकथित क्षति हो रही है । घरेलू उद्योग के संदर्भ में "समान उत्पाद " का निर्धारण "समान उत्पाद घरेलू उद्योग" की स्थिति की जांच करना है और "समान उत्पाद घरेलू उद्योग " पर "विचाराधीन उत्पाद " के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना है । अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे का बढ़ा नही सका है जिससे उत्पाद की उन किस्मों को शामिल किया जा सके जिनका पाटन नहीं किया गया है । निर्यातकों के संदर्भ में "समान वस्तु " से ऐसी अपेक्षा है कि जिससे उस स्थिति में "सामान्य मूल्य " के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्धारण किया जा सके जबकि निर्यातक देश के बाजार में विचाराधीन उत्पाद के समान कोई उत्पाद उपलब्ध न हो ।

7. यद्यपि इस तथ्य के बारे में कोई शंका नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण तथा प्राधिकारी ने पहले यह निर्णय लिया था कि एनबीआर के सभी ग्रेड प्रतिस्थापनीय होते हैं और इसीलिए "घरेलू उद्योग की स्थिति" तथा क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और " निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण " के प्रयोजनार्थ "समान वस्तुओं " से यह आशय नहीं है कि संपूर्ण उत्पाद श्रेणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है जबकि आरोप उत्पादों की कम श्रेणी के पाटन का है । इसी प्रकार, यह जरूरी नहीं है कि निर्यातक देश में " समान उत्पाद" का निर्धारण किया जाए जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उस बाज़ार में समान अथवा वैसा ही उत्पाद उपलब्ध है ।

8. करार के अनुच्छेद 2.6 के अनुसार, शब्द "समान उत्पाद" ("प्रोड्यूट सिमिलेयर") की व्याख्या ऐसे उत्पाद के आशय के लिए की जाएगी जो विचाराधीन उत्पाद के समरूप अर्थात हर तरह से समान हो, अथवा ऐसे उत्पाद के अभाव में दूसरा वह उत्पाद जो हर तरह से विचाराधीन उत्पाद से मिलता-जुलता नहीं है ।

9. "घरेलू समान उत्पाद" का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्रियों का प्रमुख हिस्सा केवल एनबीआर गांठों का ही होता है । घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा बेचे गए गांठ रूप में एनबीआर तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से विचाराधीन उत्पाद के समान तथा प्रतिस्थापनीय है । हालांकि एनबीआर के दूसरे रूप भी तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से विचाराधीन उत्पाद के प्रतिस्थापनीय हैं लेकिन प्राधिकारी को लगता है कि घरेलू बाजार में समान उत्पाद के होने पर दूसरे श्रेणियों को शामिल किए जाने हेतु समान वस्तु के दायरे को बढ़ाना जरूरी नहीं है ।

10. अतः क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी का निर्णय है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित गांठ रूप में एनबीआर विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद है और समान उत्पाद घरेलू उद्योग पर गांठ रूप में एनबीआर के प्रभाव का तद्नुसार विश्लेषण किया गया है ।

11. जहां तक विदेशी समान उत्पाद का संबंध है, ब्राजील के निर्यातकों के अपने उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद के समान अथवा बराबर के ग्रेड होते हैं । उनके अपने घरेलू बाजार और भारत को निर्यात के लिए इनकी काफी बिक्री होती है । चूंकि भारत को निर्यातित ग्रेडों की तुलना में घरेलू बाजार में समान ग्रेड उपलब्ध होते हैं अतः सहयोगकारी निर्यातकों के पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में बेचे गए तथा भारत को निर्यात किए गए समान उत्पादों को समान उत्पाद के रूप में विचार किया है और सामान्य मूल्य की गणना केवल उन्हीं ग्रेडों के आधार पर की गई है ।

12. जहां तक ब्राजील, मैक्सिको तथा यूरोपीय संघ के अन्य सभी निर्यातकों का संबंध है, घरेलू बाजार में विनिर्मित तथा बेचे गए ग्रेडों के ब्यौरों के अभाव में प्राधिकारी ने संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित उत्पादों को सभी आवश्यक विशेषताओं के समान माना है और इसीलिए उन्हें विचाराधीन उत्पादन के समान वस्तुओं के रूप में उक्त नियमावली के अनुसार उसके आशय के भीतर माना है ।

13. अपने प्रकटन-पश्चात निवेदन में ब्राजील के निर्यातकों और प्रत्युत्तरदाता आयातकों ने तर्क दिया है कि एनबीआर, चाहे वे गांठ रूप में क्यों नहीं हों, जिस तरीके से उन्हें पोलीमराइज किया जाता है जिस तरीके से रबड़ उत्पादकों की मशीनरी में ढल जाता है उसके अनुसार वह अलग-अलग अनुप्रयोग में आ जाता है और

इसीलिए वाणिज्यिक दृष्टि से गांठ रूप में सभी विभिन्न ग्रेडों की कीमत अलग-अलग लगाई जाती है और वे प्रत्यक्षतः प्रतिस्थापनीय नहीं होते हैं । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि भारतीय बाजार की मांग वाले एनबीआर के सभी ग्रेडों की घरेलू उद्योग ऑफर नहीं करता है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ब्राजील से केवल सीमित ग्रेडों के ही निर्यात होते हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा सप्लाई वाले प्रमुख ग्रेडों के बराबर के हैं । तथापि, जहां तक एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता का संबंध है, यह मुद्दा इसी उत्पाद के बारे में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निपटा दिया गया है और इसीलिए प्राधिकारी इस मुद्दे में जाना उचित नहीं समझता है ।

14. जहां तक विचाराधीन उत्पाद का दायरा सीमित रखे जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि जबकि विधिशास्त्र यह बताता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा यथासंभव कम रहना चाहिए, लेकिन इच्छुक पक्षकारों ने इस उत्पाद के विस्तृत कवरेज का तर्क दिया है । प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा सीमित रखे जाने हेतु पिछले पैराग्राफों में पर्याप्त कारण दिए गए हैं । अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के यथा उपरोक्त दायरे की पुष्टि करता है ।

घ. वर्गीकरण

15. एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) को चार अंकीय स्तर पर उपशीर्ष सं0 40.02 और छः अंकीय स्तर पर सं0 4002.59 के तहत सिंथेटिक रबड़ की श्रेणी के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 और आईटीसी एचएस वर्गीकरण के तहत रबड़ तथा उसकी वस्तुओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । हालांकि एनबीआर के संबंध में यही समर्पित शीर्षक है लेकिन प्राधिकारी नोट करता है कि एनबीआर के आयात की ऐसे अन्य शीर्षों के तहत रिपोर्ट दी गई है जिनमें एनबीआर का वर्णन केवल सिंथेटिक रबड़ के रूप में किया गया है । अतः सीमाशुल्क तथा आईटीसी एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उनका मौजूदा जांच के दायरे पर कोई बंधन नहीं है ।

ङ. घरेलू उद्योग की स्थिति तथा जांच का प्रारंभ

16. यह आवेदन-पत्र दायर किए जाने हेतु आवेदक की स्थिति के संबंध में कोई ज्यादा तर्क नहीं दिया गया है । आवेदक मै0 अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई भारत में

संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध माल का संपूर्ण उत्पादन यही करता है । अतः प्राधिकारी भारतीय पाटनरोधी नियमावली के आशय के भीतर घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण में दिए गए जांच-परिणामों की पुष्टि करता है ।

च. आयात मात्राओं की न्यूनतम सीमाएं

17. इस जांच के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ को एक एकल सीमाशुल्क क्षेत्र माना गया है और तद्नुसार, प्रारंभिक जांच-परिणाम जारी किए गए थे । मै0 गेट्स इंडिया लि0 ने तर्क दिया है कि ईयू को पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक एकल क्षेत्र नहीं माना जा सकता है और अनेक ईयू सदस्य देशों से हुए आयात या तो नगण्य अथवा न्यूनतम रहे हैं । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि नियम 2(च) तथा नियम 10 के साथ पठित धारा 9क(1) में यह प्रावधान है कि जब किसी वस्तु का निर्यात किसी "देश" अथवा "क्षेत्र" (नियम 2(च) के तहत यथा परिभाषित) से भारत को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उक्त नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन जांच कर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश कर सकता है । अतः प्राधिकारी इस संबंध में अपने जांच-परिणामों की पुष्टि करता है ।

18. मेक्सिको सरकार ने एक प्रारंभिक निवेदन करते हुए तर्क दिया है कि उनके निर्यात आंकड़ों के अनुसार मेक्सिको से भारत को जांच-अवधि के दौरान संबद्ध माल का कोई निर्यात नहीं हुआ है । प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने प्रारंभिक जांच-परिणामों में इस मुद्दे पर चर्चा की है । किंतु, प्रारंभिक जांच परिणाम पश्चात् निवेदनों में मेक्सिको सरकार ने अपनी स्थिति की पुनरावृत्ति की है लेकिन उन्होंने मेक्सिको से संबद्ध माल के निर्यातों की मात्रा के संबंध में कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है । अतः प्राधिकारी इस संबंध में अपने जांच परिणामों की पुष्टि करता है ।

19. उपरोक्त देशों/क्षेत्रों से किए गए आयातों को न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है ।

च. अन्य निवेदन तथा उठाए गए मुद्दे

च.1 जानकारी की गोपनीयता और प्रकटन

20. अपने प्रारंभिक जांच-पश्चात निवेदनों में निर्यातकों तथा अन्य पक्षकारों ने अपने

उस रूप में दोहराया है कि जांच प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर अगोपनीय आवेदन-पत्र में सामान्य मूल्य के प्राक्कलनों का पर्याप्त अगोपनीय प्रकटन उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके आधार पर उन्होंने पाटन का आरोप लगाया था । प्राधिकारी नोट करता है कि यह जांच आवेदक द्वारा दायर पूर्णतया प्रलेखित आवेदन-पत्र के आधार पर आरंभ की गई थी जिसमें उनके पास यथोचित रूप से उपलब्ध संबद्ध देशों/क्षेत्रों में सामान्य मूल्य संबंधी जानकारी शामिल की गई थी । यूरोपीय संघ में सामान्य मूल्य का आकलन उस बाजार में बिक्री हेतु कतिपय ऑफर के आधार पर किया गया और अन्य देशों में सामान्य मूल्य का आकलन यथोचित आधार पर किया गया । इच्छुक पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य के आकलन के अतिरिक्त प्रकटन हेतु अनुरोध किए जाने के बाद आवेदक ने पूरक जानकारी उपलब्ध कराई जिसे सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया ।

21. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि इस मामले में प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों ने अनेक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पर्याप्त अगोपनीय प्रकटन उपलब्ध नहीं कराए हैं और ऐसी जानकारी के अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराए जाने के बारे में कोई खास कारण भी नहीं बताया गया है ।

22. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों पर यह दायित्व है कि वे अपने-अपने अगोपनीय सारांश उपलब्ध करा दें और ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ऐसी जानकारी पर विचार नहीं कर सकेगा । किंतु, जहां तक इन देशों/क्षेत्रों में सामान्य मूल्य के वास्तविक निर्धारण का संबंध है, वह सहयोगकारी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है और इसीलिए जांच के लिए प्रारंभिक आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा सामान्य मूल्य के आकलन से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

23. इच्छुक पक्षकारों ने यह भी निवेदन किया है कि पाटन तथा क्षति मार्जिन की पद्धति तथा गणना के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रारंभिक जांच-परिणामों के जरिए उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है । प्राधिकारी नोट करता है कि पाटन मार्जिन की गणनाओं की सूचना सहयोगकारी निर्यातकों को निर्यातक सत्यापन रिपोर्टों की

मार्फत दे दी गई थी । जहां तक क्षति मार्जिन की गणना का संबंध है, उसकी सूचना सूचीकृत तरीके से दी गई थी क्योंकि उसमें घरेलू उद्योग की गोपनीय वाणिज्यिक संवेदी जानकारी शामिल रही थी । अतः इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों के तर्क सही नहीं हैं ।

24. निर्यातकों तथा ब्राजील सरकार सहित अन्य इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटन-पश्चात अपने-अपने निवेदनों में यह बात दोहराई है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर अगोपनीय याचिका त्रुटिपूर्ण रह गई है जो उक्त करार के नियम 7 का उल्लंघन है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया । चूंकि आवेदक संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है और वह एक बहु-उत्पाद कंपनी है, अतः उसकी उत्पादन तथा बिक्रियों संबंधी जानकारी गोपनीय रखे जाने का दावा किया गया है और प्राधकारी द्वारा भी उसे ऐसा ही माना गया है तथा सभी जानकारी संबंधी सूचीकृत आंकड़े उसकी सार्थक समझ हेतु पर्याप्त रूप से प्रकटनों में दिए गए हैं ।

25. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकटनों में कतिपय आंकड़े प्रारंभिक जांच परिणामों के आंकड़ों की तुलना में बदल दिए गए हैं और ऐसे परिवर्तनों के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं । प्राधिकारी नोट करता है कि प्रारंभिक जांच-परिणाम प्रारंभिक आंकलन के आधार पर जारी किए जाते हैं और इसीलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सभी जानकारी प्रारंभिक जांच-परिणामों के समय हर तरह से पूर्ण हो । किन्तु, अन्तिम जांच-परिणामों में इच्छुक पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों को यथा संगत सीमता तक शामिल किया गया है । अतः इच्छुक पक्षकारों के तर्क स्वीकार्य नहीं पाए गए हैं ।

26. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों के विभिन्न निवेदनों को नोट कर लिया है और जहां तक वे संगत हैं, इन मुद्दों पर इस जांच-परिणाम में चर्चा की गई है ।

छ. पाटिन मार्जिन का निर्धारणः

27. प्रारंभिक जांच-परिणामों के संबंध में इच्छुक पक्षकारों की टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा पाटन माजिन के संबंध में अपना अंतिम निर्धारण निम्नानुसार किया हैः-

छ.1 ब्राजील

28. प्राधिकारी को ब्राजील के दो विनिर्माता - निर्यातकों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और उनके संबंधित आंकड़ों की जांच भी की गई है । उनके निवेदनों और

सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत संबंधी उनके आंकड़ों के आधार पर ब्राजील के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

छ.1.1 मै0 निट्रिफ्लेक्स, ब्राजील

क) सामान्य मूल्य

29. प्राधिकारी ने ब्राजील के इस सहयोगकारी निर्यातक के संबंध में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उनकी घरेलू बाजार बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जिसमें घरेलू अप्रत्यक्ष करों, अंतर्राज्यीय परिवहन, सुपुर्दगी तथा बीमा लागतों और घरेलू बिक्रियों पर ऋण लागतों के संबंध में विधिवत समायोजन कर दिए गए हैं और इस सहयोगकारी निर्यातक के संबंध में निवल कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने हेतु इसकी पुनर्गणना निम्नानुसार की गई है:-

उत्पाद कोड	मात्रा किग्रा.	सकल बीजक मूल्य अम.डा.	कुल समायोजन अम.डा/ मी.टन	निवल कारखानागत मूल्य अम.डा.	निवल कारखानागत कीमत अम.डा.
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
भारित औसत कारखानागत कीमत					*****

ख) निर्यात कीमत

30. इस निर्यातक की निवल कारखानागत निर्यात कीमत की गणना छूट, अन्तर्राज्यीय भाड़ा, बीमा तथा सुपुर्दगी प्रभार, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा, बीमा तथा सुपुर्दगी, कमीशन तथा ऋण लागतों के संबंध में विधिवत् समायोजन करते हुए भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में उनके आंकड़ों के आधार पर की गई है । कतिपय गणना

त्रुटियों को ठीक कर दिया गया है और इस निर्यातक के संबंध में निवल निर्यात कीमत की गणना निम्नानुसार की गई है:-

उत्पाद कोड	मात्रा किग्रा.	सकल बीजक मूल्य अम.डा.	कुल समायोजन अम.डा/ मी.टन	निवल कारखानागत मूल्य अम.डा.	निवल कारखानागत कीमत अम.डा.
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
भारित औसत कारखानागत कीमत					*****

ग) पाटन मार्जिन

31. एनबीआर के अलग-अलग ग्रेडों के संबंध में निवल निर्यात कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर संबंधित सामान्य मूल्य की तुलना में किया गया है और भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है:-

उत्पाद कोड	निर्यात मात्रा(किग्रा..)	सामान मूल्य (अम.डा./कि. ग्रा.	निर्यात कीमत (अम.डा./कि. ग्रा.	पाटन मार्जिन (अम.डा ./कि.ग्रा.	भा.औ.पाटन मार्जिन (अम.डा./ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन(%)
1	*****	*****	*****	*****	*****	
2	*****	*****	*****	*****	*****	
भारित औसत पाटन मार्जिन					*****	32%

मै0 निट्रिफ्लैक्स ने गोपनीय प्रकटन में उन्हें बताए गए पाटन निर्धारण के प्रति कोई भी आपत्ति नहीं उठाई है । अतः इस निर्यातक के संबंध में पाटन निर्धारण की पुष्टि की गई है ।

छ. 1.2 मै0 पैट्रोफ्लेक्स, ब्राजील

32. प्राधिकारी नोट करता है कि सामान्य मूल्यों, निर्यात कीमतों तथा पाटन मार्जिनों का निर्धारण प्रारंभिक जांच-परिणामों में किया गया जो भारत को इस निर्यातक के सामान्य व्यापार प्रक्रिया तथा निर्यात सौदों में सहयोगकारी निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमतों पर आधारित रहा । इस निर्धारण के ब्यौरे भी निर्यातक को निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट की मार्फत सूचित किए गए । इस निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण का विरोध नहीं किया है । अतः प्राधिकारी इस निर्यातक के संबंध में किए गए निर्धारण की पुष्टि निम्नानुसार करता है:

क) सामान्य मूल्य

33. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बाजार में बेचे गए एनबीआर के समान ग्रेडों के घरेलू बिक्री सौदों को घरेलू कर तथा ऋण लागतों के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि ये सौदे कारखानागत स्तर पर रहे हैं, ताकि निवल कारखानागत कीमतों का निर्धारण किया जा सके । अलग-अलग ग्रेडों के संबंध में औसत सामान्य मूल्यों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

उत्पाद	मात्रा(किग्रा.)	सकल मूल्य (रू.डा.)	कुल समायोजन (रू.डा.)	निवल बीजक मूल्य (रू.डा.)	कारखानागत कीमत (अम.डा. /मी.टन)	कारखानागत कीमत (अम.डा./कि. ग्रा.)
1	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
भारित औसत कारखानागत कीमत						*****

ख) निर्यात कीमतः

34. एनबीआर के अलग-अलग ग्रेडों के सत्यापित निर्यात बिक्री सौदों को अन्तर्देशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा बीमा तथा कमीशन के संबंध में समायोजित किया गया है। तद्नुसार, इन दो ग्रेडों के संबंध में निवल कारखानागत निर्यात कीमत की गणना निम्नानुसार की गई है:-

उत्पाद कोड	मात्रा	सकल मूल्य (अम.डा.)	कुल समायोजन (अम.डा.)	निवल कारखानागत मूल्य (अम.डा.)	निवल कारखानागत कीमत (अम.डा./किग्रा.)
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
भारित औसत कारखानागत कीमत					*****

ग) पाटन मार्जिन

35. पाटन मार्जिन के निर्णय के प्रयोजनार्थ अलग-अलग ग्रेडों की औसत निर्यात कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान समान व्यापार-स्तर अर्थात् कारखानागत स्तर पर उन्हीं ग्रेडों के सामान्य मूल्य से की गई है और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है । इस निर्यातक ने ऐसे अंतरों के प्रति किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया है जो कीमत तुलनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जिनमें बिक्रियों, कराधान, व्यापार स्तर, मात्राओं, वास्तविक विशेषताओं और अन्य अंतरों की शर्तों में अंतर शामिल हैं, जिन्हें कीमत तुलनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु दर्शाया जाता है ।

36. तदनुसार, संबद्ध देशों के संबद्ध माल के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन की पुष्टि आंकड़ा संबंधी छोटी त्रुटियों को ठीक करने के बाद निम्नानुसार की गई है:-

उत्पाद कोड	मात्रा किग्रा.	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	भारित औसत पा.मा.	पा.मा.%
		अ.डा./किग्रा.	अ.डा./किग्रा.	अ.डा./किग्रा.	अ.डा./किग्रा.	
एनबीआर 3960	*****	*****	*****	*****		
एनबीआर 3350	*****	*****	*****	*****		
भारित औसत पाटन मार्जिन					*****	22%

37. अपने प्रकटन-पश्चात निवेदन में मै0 पेट्रोफ्लेक्स ने निवेदन किया है कि भारत के लिए उनकी निर्यात कीमत उनकी उत्पादन लागत की तुलना में काफी अधिक है और संबद्ध माल की बिक्री बाजार संचालित कीमतों पर की जाती है जो एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में चल रही निर्यात कीमतों के समनुरूप होती हैं । अतः भारत को होने वाले निर्यात से पाटन नहीं होता है । किन्तु, उन्हें सूचित पाटन मार्जिन के निर्धारण के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की है । अतः इस निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारण की भी पुष्टि की गई है ।

छ. 1.3 ब्राजील से सभी निर्यातक

38. ब्राजील के सभी अन्य निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के रूप में ब्राजील के सहयोगकारी निर्यातकों के घरेलू बिक्री आंकड़ों पर आधारित अधिकतम भारित औसत सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया है । तद्नुसार, ब्राजील के सभी अन्य निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का आकलन **** अम.डा./कि.ग्रा. के रूप में किया गया है।

39. कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण कमीशन(@****%), अन्तर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़ा तथा बीमे के लिए समायोजनों की अनुमति दिए जाने के पश्चात् ब्राजील के सहयोगकारी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है जिसका आकलन **** अम.डा./कि.ग्रा. पर किया गया है ।

40. तद्नुसार, ब्राजील के सभी असहयोगकारी निर्यातकों के सबंध में पाटन मार्जिन का आकलन **** अम.डा./किग्रा.(37%) पर किया गया है । इस प्रकार आकलित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक रहे हैं और इन्हें पर्याप्त समझा गया है ।

छ.2 यूरोपीय संघ

41. यूरोपीय संघ के एकमात्र प्रत्युत्तरदाता निर्यातक अर्थात मैसर्स लैंग्सेस इलास्टोमियर ने ही इस जांच का एक आंशिक प्रत्युतर दर्ज कराया है और अपने बाद के निवेदनों में उन्होंने तर्क दिया है कि उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन-पत्र में पाई गई अनेक त्रुटियों के मद्देनजर वे विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करें जिसके आधार पर जांच को प्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया जाए । उन्होंने आगे

यह भी निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इस कार्यवाही के लिए पर्याप्त हैं । उन्होंने अपने प्रारंभिक जांच-परिणाम पश्चात निवेदन में भी अपने रुख को दोहराया है ।

42. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में इस निर्यातक के तर्कों को नोट किया है और तद्नुसार, यूरोपीय निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन का आकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया । उनके प्रश्नावली प्रत्युत्तर तथा उनके प्रारंभ्झिक जांच परिणाम पश्चात निवेदनों में लांग्सेस इलास्टोमियर सहित यूरोपीय संघ के निर्यातकों द्वारा कोई यथेष्ठ जानकारी नहीं दी गई है । अतः प्राधिकारी इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ इमै0 लांग्सेस इलास्टोमियर को असहयोगकारी ठहराता है और इस निर्यातक के निवेदनों पर विचार नहीं करता है । तद्नुसार प्रारंभिक जांच परिणामों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ के सभी निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन की पुष्टि निम्नानुसार की जाती हैः-

क) सामान्य मूल्यः यूरोपीय संघ के सभी निर्यातक

43. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित अनुबंध II में यह प्रावधान है कि यदि किसी इच्छुक पक्षकार से वांछित जानकारी किसी यथोचित समयावधि के भीतर निर्धारित तथा तरीके में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह घरेलू उद्योग द्वारा जांच प्रारंभ किए जाने के लिए आवेदन पत्र में निहित तथ्यों सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण कर ले । यूरोपीय संघ के एकमात्र प्रत्युत्तरदाता निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ इस जांच में कोई सहयोग नहीं किया है और किसी अन्य इच्छुक पक्षकार ने यूरोपीय संघ की घरेलू बिक्री कीमतों के बारे में कोई ठोस जानकारी प्रदान नहीं की है । अतः, प्राधिकारी ने यूरोपीय बाजार में संबद्ध माल की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर ही विश्वास किया है और वह अनंतिम जांच-परिणामों में निर्धारित पाटन मार्जिन की निम्नानुसार पुष्टि करता हैः-

44. यूरोपीय संघ के सभी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का आकलन मध्यम एनबीआर के लिए **** अम.डा./कि.ग्रा. और उच्च एनबीआर के लिए **** अम.डा./कि.ग्रा. पर किया गया है और ऐसा सामान्य मूल्य को कारखानागत स्तर पर लाने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर व्यापार समायोजनों के स्तर की अनुमति दिए जाने के बाद किया गया है ।

45. निवल निर्यात कीमत का आकलन मध्यम एनबीआर के लिए **** अम.डा./कि.ग्रा. और उच्च एनबीआर के लिए **** अम.डा./कि.ग्रा. पर किया गया है और ऐसा उपलब्ध तथ्यों में बताई गई वास्तविक निर्यात कीमत के समायोजन के पश्चात किया गया है ।

तद्नुसार, पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार बैठती है:

पाटन मार्जिन	सा.मू.	नि.की.	पा.मा.	औसत	पा.मा. %
1	****	****	****	****	26%
2	****	****	****		

छ.3 मेक्सिको

46. प्राधिकारी नोट करता है कि मेक्सिको के निर्यातकों की ओर से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मेक्सिको सरकार ने अभ्यावदेन किया है कि मेक्सिको से संबद्ध माल का कोई निर्यात नहीं किया गया है । इस स्थिति की पुनरावृत्ति उनके प्रारंभिक जांच-परिणाम-पश्चात निवेदनों में की गई है लेकिन उस देश से संबद्ध माल के वास्तविक निर्यात के संबंध में कोई भी विश्वसनीय जानकारी अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । याचिकाकर्त्ताओं में से संबद्ध माल की अनेक खेपों के आयात का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है । अतः प्राधिकारी इस संबंध में अपने जांच-परिणामों की पुष्टि करता है ।

47. किंतु, प्राधिकारी नोट करता है कि मैक्सिको से मूल रूप से आफ-स्पेक माल का निर्यात होता है । तथापि, आफ स्पेक माल घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित तथा बेचे गए प्रमुख माल और आयातित प्रमुख माल का तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन होता है । अतः प्राधिकारी अपने प्रारंभिक जांच-परिणामों में मैक्सिको के लिए आकलित पाटन मार्जिन की पुष्टि निम्नानुसार करता है:-

क) सामान्य मूल्य

48. प्राधिकारी ने ब्राजील में मुख्य माल के सामान्य मूल्य पर आधारित ऑफ-स्पेक माल के संबंध में मेक्सिको के सामान्य मूल्य का निर्धारण व्यापार स्तर के आवश्यक

समायोजन तथा ***% के मानक द्वारा ऑफ-स्पेक माल के सामान्य मूल्य के समायोजन के बाद किया है । इस प्रकार आकलित सामान्य मूल्य *** अम.डा. मी.टन बैठता है ।

ख) निर्यात कीमत

49. निवल कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित समुद्री भाड़े, बीमे तथा सुपुर्दगी, अंतर्देशीय भाड़े, स्थानीय लेवियों, आदि का समायोजन किए जाने के बाद किया गया है और इसका आकलन **** अम.डा./मी.टन पर किया गया है।

ग) पाटन मार्जिन

50. मेक्सिको के ऑफ स्पेक माल के संबंध में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के उपरोक्त निर्धारण के आधार पर उस देश के सभी निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन **** अम.डा./मी.टन बैठता है ।

छ.4 पाटन मार्जिनः सारांश

देश	निर्यातक	पा.मा. अम.डा./किग्रा.	पा.मा.%
	मै0 पैट्रोफ्लेक्स	*****	22%
	मै0 निट्रिफ्लेक्स	*****	32%
ब्राजील	अन्य सभी	*****	37%
ईयू(जर्मनी से इतर)	सभी निर्यातक	*****	26%
मेक्सिको	सभी निर्यातक	*****	50%

इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन पर्याप्त है और वह न्यूनतम से अधिक है ।

ज. क्षति का निर्धारण

51. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से निर्यातित संबद्ध माल के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन की पुष्टि के बाद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की भी जांच की है । क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग एकमात्र घरेलू उत्पादक है और मौजूदा मामले में वही याचिकाकर्त्ता कंपनी है ।

ज.1 क्षति का संचयी आकलन

52. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच के तहत शामिल देशों/क्षेत्रों सहित अनेक देशों से एनबीआर का निर्यात किया जा रहा है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि जापान, जर्मनी तथा चीनी ताइपेई के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है । संबद्ध देशों से होने वाले आयातों को पाटित कीमतों के स्तर पर पाया गया है । अतः घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की वजह से होने वाली क्षति के संचयी आकलन की जांच प्राधिकारी द्वारा इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर की गई है ।

53. इच्छुक पक्षकारों ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम पश्चात निवेदनों में तर्क दिया है कि संचयन की अनुमति तभी दी जाती है जबकि विभिन्न देशों से होने वाले आयात एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और वह घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान उत्पादों से भी प्रतिस्पर्धा करे । उन्होंने तर्क दिया है कि कीमत घरेलू उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है और इसीलिए प्रतिस्थापनीयता एवं परस्पर परिवर्तनीयता केवल वितरण चैनलों के मूल्यांकन के आधार पर नहीं होनी चाहिए । उन्होंने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के बीच कीमत अंतर से यह इंगित होता है कि इन स्रोतों के उत्पाद परस्पर परिवर्तनीय नहीं होते हैं और इसीलिए प्रतिस्पर्धा की शर्तें पुष्ट नहीं होती हैं । उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि समीक्षा जांच के तहत पहले से ही लगाए गए शुल्क के अन्य स्रोतों से होने वाले आयातों के संचयन की अनुमति करार के अनुच्छेद 3.3 के तहत नहीं दी जाती है जिसमें उन आयातों के संचयन के संबंध में प्रावधान किया गया है जो पाटनरोधी शुल्क जांचों के साथ-साथ अध्यधीन होता है और उससे समीक्षाओं को मजबूरी में शामिल नहीं किया जाता । उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि हालांकि कतिपय अन्य देशों तथा अन्य संबद्ध देशों से होने वाले आयात साथ-साथ

जांच के अध्यधीन हैं लेकिन उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर एकसाथ मिलाया नहीं जा सकता है कि इन जांचों में शामिल विचाराधीन उत्पादों की परिभाषाएं अलग-अलग हैं ।

54. सारांश में, इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटन-पश्चात निवेदनों सहित विभिन्न निवेदनों में तर्क दिया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के विभिन्न निर्यातकों द्वारा संबद्ध माल का निर्यात किया जा रहा है जो परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और इस प्रकार उनके आपस में संबद्ध पाटित वस्तुओं तथा घरेलू समान उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें पूरी नहीं होती है । यह भी तर्क दिया गया है कि साथ-साथ की जा रही जांचों के तहत अन्य स्रोतों से किए गए पाटित आयातों का संचयन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार संबद्ध देशों/क्षेत्रों से होने वाले पाटित आयातों से नहीं किया जा सकता है ।

55. प्राधिकारी ने विभिन्न स्रोतों से इस उत्पाद के साथ-साथ हो रहे पाटन की वजह से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संचयी आकलन के प्रश्न पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट कर लिया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह अपेक्षा है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात साथ-साथ हो रहा है और जो पाटनरोधी जांच के अध्यधीन हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा, बशर्ते वह यह तय करता है कि:

i) अलग-अलग देशों से होने वाले आयात या तो न्यूनतम सीमा से अधिक हैं या वे संचयी आधार पर कुल आयातों का 7% से अधिक हैं;

ii) अलग-अलग देशों पर पाटन मार्जिन 2% से ऊपर है; और

iii) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के मद्देनज़र समुचित है ।

56. जहां तक समीक्षा जांचों के तहत कोरिया, जर्मनी तथा ताइवान से किए गए पाटित आयातों के संचयन और जापान के आयातों जिस पर संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों पर शुल्क लगाए हुए हैं, का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि ऊपर उल्लिखित प्रावधान में संचयन के संबंध में स्पष्ट रूप से उपबंध है जबकि उत्पाद "साथ-साथ जांचें" के अध्यधीन हो और "साथ-साथ जांच" की अभिव्यक्ति से केवल मूल जांच तक किसी भी प्रकार सीमित नहीं रखा जा सकता । जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, प्राधिकारी ने पहले ही स्पष्ट रूप से यह रिकॉर्ड कर दिया कि जर्मनी से हुए

आयात नगण्य हैं और कोरिया तथा ताइवान से आयात मुख्य रूप में केवल गांठ रूप में हुए हैं । किंतु, उपरोक्त तर्कों के होते हुए भी इस जांच में क्षति-जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से इतर स्रोतों से हुए आयातों का संचयन संबद्ध देशों से हुए आयातों से नहीं हुआ है जैसाकि कुछ इच्छुक पक्षकारों ने कहा है । इन आयातों का अनुच्छेद 3.5 के तहत कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अलग से विश्लेषण किया गया है जिसके अनुसार प्राधिकारी पर यह दायित्व है कि वह घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों से इतर अन्य स्रोतों से हुए आयातों के प्रभाव की जांच करें । अतः इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं ।

57. जहां तक संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संचयन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि:-

i) प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध माल का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है;

ii) प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयात की मात्रा नगण्य नहीं है जैसाकि उक्त करार के अनुच्छेद 5.8 में यथापरिभाषित है ;

iii) संबद्ध देशों से पाटित माल और घरेलू उत्पादित समान उत्पाद परस्पर परिवर्तनीय है और इनका प्रयोक्ता उद्योग द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा रहा है । संबद्ध दशों से हुए आयात के संबंध में सौदे-वार जानकारी यह दर्शाती है कि आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं और उन व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं जिन्होंने पुनः बिक्री के लिए माल की खरीद की है । शामिल देशों द्वारा सप्लाई किया गया माल भारतीय बाजारों में उन्हीं वितरण चैनलों की मार्फत प्रवेश कर रहा है और यह भारतीय बाजार से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा है ।

iv) संबद्ध देशों से सप्लाई किए गए उत्पादों का भारत में विपणन उसी अवधि के दौरान तुलनीय बिक्री चैनलों के जरिए तथा समान वाणिज्यिक दशाओं में किया जा रहा है।

v) घरेलू उत्पादक तथा संबद्ध देशों के निर्यातक इस उत्पाद की बिक्री समान उपभोक्ता श्रेणी को कर रहे हैं।

vi) जिस कीमत स्तर पर इन उत्पादों का प्रवेश भारतीय बाजार में हो रहा है उसकी जांच से इंगित होता है कि भारतीय पत्तन पर माल का लैंडेड मूल्य 70,000/-रूपये से

74,000/-रूपये प्रति मी.टन के बीच रहा है । इसमें मेक्सिको शामिल नहीं है जो अपेक्षतया कम लैंडेड मूल्य पर केवल ऑफ-स्पेक माल का निर्यात करता है । अतः कीमत स्तरों से निर्यात तथा भारतीय बाजार के घरेलू उत्पाद के बीच काफी प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से इंगित होता है । जहां तक मेक्सिको से होने वाले आयातों का संबंध है, ऑफ-स्पेक माल का प्रयोग भी परस्पर रूप से अथवा मुख्य माल में उपयुक्त मिश्रण द्वारा किया जाता है जिससे घरेलू बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा खराब हो गया ।

vii) अतः संबद्ध देशों से हुए आयात परस्पर तथा भारतीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए पाए जाते हैं और इससे बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती हुई है।

58. उपरोक्त जांच से इंगित होता है कि इच्छुक पक्षकारों के विभिन्न निवेदनों में विहित तर्कों से कि संबद्ध देशों से होने वाले आयात और घरेलू उत्पाद संचयी आकलन के प्रयोजनार्थ प्रतिस्पर्धा की शर्त की पुष्टि नहीं होती है, बरकरार नहीं रखी जा सकती है । अतः प्राधिकारी निर्णय देता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कारण क्षति का संचयी आकलन इस मामले में यथोचित है क्योंकि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध माल के निर्यात प्रत्यक्ष रूप से परस्पर तथा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर किए गए समान माल से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ।

ज.2 वास्तविक क्षति

ज.2.1 निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

59. निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों ने अपने प्रारंभिक जांच-परिणाम पश्चात निवेदनों में अपने उन तर्कों को दोहराया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है । उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया है कि हालांकि यह सही है कि सभी क्षति कारक साबित नहीं होने चाहिए लेकिन प्राधिकारी द्वारा जांचे गए अनेक कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग में सुधार एवं पुनर्लाभ हुआ है । अतः क्षति का सकारात्मक निर्धारण बाजार हिस्से में क्षति और घरेलू प्रचालनों में क्षति तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता के कारकों के आधार पर पुष्ट नहीं किया जा सकता है ।

ज.2.2 घरेलू उद्योग के विचार

60. जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जापान, ताइवान, जर्मनी तथा कोरिया से हुए आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के

संरक्षण के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों और साथ ही शुल्क वाले कुछ देशों से गहन पाटन की वजह से लगातार क्षति होती रही है । उन्होंने तर्क दिया है कि हालांकि उपरोक्त देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण द्वारा उन्हें अपने निष्पादन में मामूली सुधार करने में सहायता मिली है क्योंकि नए स्रोतों अर्थात् इस जांच में नामोद्दिष्ट देशों/क्षेत्रों से पाटन और शुल्क वाले कतिपय देशों से गहन पाटन हुआ है, इस वजह से वे इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा सके और उन्हें वास्तविक क्षति का होना जारी रहा । उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि अपनी उत्पादकता तथा उत्पादन मात्रा में सुधार विभिन्न लागत कटौती उपायों की मार्फत उत्पादन लागत में गिरावट के बावजूद वे संबद्ध देशों/क्षेत्रों सहित विभिन्न स्रोतों से निरंतर पाटन की वजह से अपनी लागत को वसूल करने हेतु लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में असफल रहे हैं ।

61. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी तर्क दिया है कि अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध कारक न तो अंतिम हैं और न ही इनमें से एक अथवा अनेक हैं जिससे आवश्यक रूप से एक निर्णयात्मक मार्गदर्शन मिलता हो । अतः यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्षतिकारक घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को परिलक्षित अवश्य हो । यूरोपीय आयोग के अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यूरोपीय आयोग की पद्धति के अनुसार सुधार होने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्थिति बिगड़ने का मतलब है कि स्थिति का खराब होना । हालांकि, जांच अवधि संबंधी कारक आधार वर्ष के कारकों की तुलना में बेहतर हैं । उन्होंने तर्क दिया है कि हालांकि कुछ कारकों में सुधार हो भी गया हो लेकिन यूरोपीय आयोग ने निर्णय दिया कि इस समुदाय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

ज.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के संबंध में अपने-अपने प्रारंभिक जांच-परिणाम पश्चात् निवेदनों में किए गए विभिन्न तर्कों को नोट कर लिया है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क जापान, ताइवान, कोरिया तथा जर्मनी के विरूद्ध की गई समीक्षा से इन देशों से हो रहे लगातार पाटन की पुष्टि होती है । अतः क्षति तथा कारणात्मक संबंधी विश्लेषण के प्रयोजनार्थ इन देशों से हुए आयातों को भी पाटित आयात मान लिया गया है ।

63. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 2 में इन दोनों के संबंध में उद्देश्यात्मक जांच किए जाने का प्रावधान है अर्थात् (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख)पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वह इस बात की जांच करें कि आयातों में या तो संपूर्ण रूप में अथवा आयातक सदस्य देश में उत्पादन तथा खपत के संबंध में इन आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा पर्याप्त कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के फलस्वरूप काफी सीमा तक कीमत मंदी आ जाएगी अथवा कीमत वृद्धि में रूकावट होगी जो अन्यथा काफी सीमा तक हो गई होती ।

64. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध माल के पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभावों और कीमत तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि पाटन तथा क्षति यदि कोई है, के बीच क्षति तथा कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

(क) मात्रा प्रभावः पाटित आयातों का मात्रा-प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

65. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से होने वाले पाटित आयातों के मात्रा प्रभावों और अन्य देशों से होने वाले पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

i) **आयात मात्रा तथा संबद्ध देशों का हिस्साः**

66. क्षति संबधी जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को कतिपय देशों से हुए आयात-आंकड़ों के समायोजन के बाद अपनाया था जोकि अन्य स्रोतों से प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में अपेक्षतया कम रहे। इच्छुक पक्षकारों ने इस आधार पर इन आंकड़ों का विरोध किया है कि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद रही । प्राधिकारी नोट करता है कि प्रारंभिक जांच-परिणामों में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि डीजीसीआईएंडएस के सौदा-स्तरीय आंकड़ों की जांच की गई और जहां तक संभव हो सका,

डीजीसीआईएंडएस के सौदा-स्तरीय आंकड़ों से असंबंधित उत्पादों को हटाने संबंधी पीपीआर द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों से उनकी तुलना की गई है । कतिपय देशों के संबंध में पाई गई आंकड़ा संबंधी विसंगतियों को, जहां तक हो सका, दूर कर दिया गया है और ऐसा सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोत के आंकड़ों को अपनाकर तथा उस सीमा तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के समायोजन के बाद किया गया है । इसमें स्रोत तथा आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है ताकि इन स्रोतों तथा आंकड़ों की गोपनीयता कायम रखी जा सके । अतः इस क्षति जांच के लिए अपनाए आंकड़े ही प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम विश्वसनीय जानकारी है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि अधिकांशतया यूरोपीय संघ से आयातित कार्बोजेलेटिड एनबीआर तथा पाउडर एनबीआर का कुल आयातों में एक छोटा सा भाग होता है । किंतु, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल गांठ रूप में एनबीआर की ही जांच की गई है । अतः इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों की आपत्तियां समर्थन योग्य नहीं हैं ।

देश	मात्रा मी.टन			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 जांच अवधि
ईयू(जर्मनी से इतर)	489.12	435.53	1282.79	1771.17
ब्राजील	122.04	356.53	321	365.17
मेक्सिको	22	55	104.72	207.15
संबद्ध देश (ईयू, ब्राजील, मेक्सिको)	633.16	847.06	1708.51	2343.49
प्रवृत्ति	100	134	270	370
शुल्क सहित अन्य	2580	2857	3110	4148
प्रवृत्ति	100	111	121	161
अन्य	0	117.93	216.95	200.02
योग अन्य	2580	2974.93	3326.95	4348.02
प्रवृत्ति	100	115	129	169
कुल आयात	3213	3822	5035	6692
प्रवृत्ति	100	119	157	208

67. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जहां आधार वर्ष की तुलना में कुल आयातो में लगभग 108% की वृद्धि हुई वहां संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में उसी अवधि के दौरान 270% की वृद्धि हुई है । वर्ष 2002-03 जांच अवधि तक संबद्ध देशों से होने वाले आयातों की वृद्धि दर लगभग 50% रही है जिसमें घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा-प्रभाव इंगित किया गया है । अन्य स्रोतों से हुए आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में 61% की वृद्धि हुई है । किंतु, इन स्रोतों से हुए आयातों के प्रमुख भाग पाटित आयात हैं और वे पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं ।

68. मांग तथा बाजार हिस्सों में हुई वृद्धि के संबंध में आयातों की मात्रा में वृद्धि का भी विश्लेषण किया गया है ।

मात्राःमी.टन

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
कुल आयात	3213	3822	5035	6692
प्रवृत्ति	100	119	157	208
घरेलू बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीकृत	100	114	118	133
कैप्टिव खपत	****	****	****	****
सूचीकृत	100	80	98	101
मांग	****	****	****	****
सूचीकृत	100	114	131	159

69. उपरोक्त आंकड़े घरेलू बाजार में संबद्ध माल की मांग में अच्छी वृद्धि इंगित करते हैं । जबकि इस उत्पाद की कुल मांग आधार वर्ष की तुलंना में 59% की वृद्धि दर्शाती है लेकिन संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयात में उसी अवधि में 270% से भी अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है । किंतु, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 33% की ही वृद्धि हुई है ।

ii) **मांग, उत्पादन तथा बाजार हिस्से**

क) **घरेलू उद्योग का उत्पादन**

मात्रा मी.टन

क्षमता और उत्पादन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि

प्रतिस्थापित क्षमता	6,250	8,350	8,800	8,800
सूचीकृत	100	134	141	141
कुल उत्पादन(सभी एनबीआर)	****	****	****	****
सूचीकृत	100	130	130	149
सकल उत्पादन(केवल एनबीआर गांठे)	****	****	****	****
सूचीकृत	100	123	121	137
क्षमता उपयोग-%	****	****	****	****
सूचीकृत	100	97	92	106

70. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षमता बढ़ाई है और क्षति, यदि कोई हो, का कारण क्षमता संयोजन हो सकता है । प्राधिकारी नोट करता है कि वर्ष 2001-02 और उसके बाद क्षमता वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू बाजार में इस उत्पाद के बेहतर मांग परिदृश्य के प्रत्युत्तर में मौजूदा क्षमता में अवरोध समाप्त करके हुई है । ये आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में अपने उत्पादन में सुधार किया है । क्षमता उपयोग में भी सुधार हुआ है । किंतु, क्षमता वृद्धि तथा उत्पादन के संबंध में घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि के संदर्भ में जब जांच की गई तो उससे परिलक्षित होता है कि घरेलू उत्पादक के उत्पादन तथा बिक्री में अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के बावजूद यह मांग में वृद्धि की तुलना में काफी कम रही ।

71. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अपेक्षतया अधिक मांग के बावजूद वह क्षमता तथा उत्पादन के समानुपात अपेक्षतया अधिक बिक्री नहीं कर पाए हैं और उनके पास अतिरिक्त क्षमता अभी भी लगभग 10% है जिसका उपयोग नहीं हो सका है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्रतिकूल एनबीआर प्रचालनों के फलस्वरूप उक्त संयंत्र का उपयोग गैर-एनबीआर उत्पादों के उत्पादन के लिए किया गया है ताकि निर्धारित ऊपरी खर्चों का भाग वसूल किया जा सके ।

ख) घरेलू उद्योग की बिक्रियां

मात्राः मी.टन

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जांच अवधि)
प्रारंभिक स्टॉक	****	****	****	****
सूचीकृत	100	42	145	136
उत्पादन(गांठें)	****	****	****	****
सूचीकृत	100	123	121	137
घरेलू बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीकृत	100	114	118	133
निर्यात बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीकृत	100	136	138	179
कैप्टिव खपत	****	****	****	****
सूचीकृत	100	80	98	101
अंतिम स्टॉक	****	****	****	****
सूचीकृत	100	341	315	354

72. उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हालांकि उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 49% की वृद्धि और उससे पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू बिक्रियों में तदनुरूपी वर्षों के दौरान यह वृद्धि 33% तथा 15% की रही है । उपरोक्त आंकड़े माल-सूची में पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हैं क्योंकि अंतिम स्टॉक में 254% की वृद्धि हुई है जिससे घरेलू बाजार में अपने उत्पादन को उतारने में घरेलू उद्योग की असामर्थ्य इंगित होती है । वास्तव में, बिक्रियों में प्रमुख वृद्धि निर्यात भाग में हुई है हालांकि उसकी मात्रा कम रही है ।

ग) मांग तथा बाजार हिस्सा

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
संबद्ध देशों से आयात	633.16	847.06	1708.51	2343.49
सूचीकृत	100	134	270	370

अन्य देशों से आयात	2576.55	2971.54	3320.73	4348.59
सूचीकृत	100	115	129	169
कुल आयात	3209.71	3818.60	5029.23	6692.07
प्रवृत्ति	100	126	166	208
कुल घरेलू बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीकृत	100	114	118	133
कैप्टिव खपत	****	****	****	****
कुल घरेलू मांग	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	114	131	159
मांग में हिस्सा				
घरेलू उद्योग	54.38%	54.76%	48.97%	45.36%
संबद्ध देश	7.52%	8.86%	15.43%	17.45%
अन्य	30.64%	31.10%	30.05%	32.45%
कैप्टिव खपत	7.45%	5.28%	5.55%	4.74%
मांग में आयातों का कुल हिस्सा	****%	****%	****%	****%

73. जहां विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष से लगभग 59% की वृद्धि रही है लेकिन कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 55% से घटकर 45% रह गया । किंतु, संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों का हिस्सा 7% से बढ़कर 17% हो गया जबकि शुल्क वाले देशों से हुए पाटित आयातों सहित अन्य स्रोतों से किए गए आयातों का हिस्सा लगभग 2% बढ़ गया । इससे इंगित होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि किए जाने के बावजूद उसने पर्याप्त बाजार हिस्सा खो दिया है जबकि कुल आयातों तथा पाटित आयातों का हिस्सा 10% से भी अधिक बढ़ गया है । उपरोक्त जांच से इंगित होता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों की मात्रा में संपूर्ण रूप में और कुल मांग में वृद्धि के रूप में, दोनों तरह से काफी वृद्धि रही है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

74. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम दाम पंर बिक्री कीमत, कीमत दबाव तथा

कीमत मंदी, यदि कोई हो के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) (जिसकी गणना घरेलू उद्योग की लागत निर्धारण जानकारी को सामान्यकृत करके की गई) की तुलना संबद्ध देशों से हुए आयातों की लैंडेड लागत से की गई है ।

(i) कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री के प्रभाव

विवरण		**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
बिक्री लागत	रू./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	85.73	90.59	90.96
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	99	92	96
लैंडेड कीमत					
ईयू(जर्मनी से इतर)	रू./मी.टन	85417.73	95262.55	80768.24	77132.14
ब्राजील	रू./मी.टन	62394.59	74330.72	70184.28	73307.80
मेक्सिको	रू./मी.टन	32257.42	47868.34	34578.20	46884.19
संबद्ध देश	रू./मी.टन	79132.98	83374.90	75948.56	73862.44
सूचीकृत		100	105.36	95.98	93.34
अन्य पाटित आयात	रू./मी.टन	70330.00	77600.00	74460.00	74100.00
सूचीकृत		100	102.78	98.63	94.79
कीमत कटौती					
ईयू(जर्मनी से इतर)	रू./मी.टन	****	****	****	****
ब्राजील	रू./मी.टन	****	****	****	****
मेक्सिको	रू./मी.टन	****	****	****	****
संबद्ध देश	रू./मी.टन	****	****	****	****
ईयू(जर्मनी से इतर)	%	****	****	****	0-5%
ब्राजील	%	****	****	****	05-10%
मेक्सिको	%	****	****	****	60-70%
संबद्ध देश	%	****	****	****	05-10%
एनआईपी	रू./मी.टन				****

कम कीमत पर बिक्री					
ईयू(जर्मनी से इतर)	रू./मी.टन	****	****	****	****
ब्राजील	रू./मी.टन	****	****	****	****
मेक्सिको	रू./मी.टन	****	****	****	****
संबद्ध देश	रू./मी.टन	****	****	****	****
ईयू(जर्मनी से इतर)	%				5-10%
ब्राजील	%				10-20%
मेक्सिको	%				70-80%
संबद्ध देश	%				10-20%

75. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत(निवल बिक्री वसूली) में पर्याप्त गिरावट परिलक्षित होती है हालांकि उत्पादन लागत में वर्ष 2001-02 में काफी गिरावट दर्शाने के बाद काफी वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण उत्पादन लागत को वसूल करने के लिए अपनी कीमतें लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में असमर्थ रहा है । साथ ही, संबद्ध देशों से हुए आयातों के लैंडेड मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 7% की काफी गिरावट परिलक्षित होती है । अन्य स्रोतों से पाटित आयातों के लैंडेड मूल्यों में भी गिरावट दर्शाई गई है । किंतु, प्राधिकारी नोट करता है कि इन पाटित आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगाया हुआ है और इसीलिए इन आयातों का प्रभाव इन आयातों पर लागू शुल्क की सीमा तक समाप्त कर दिया गया ।

76. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों की कीमत कटौती के प्रभाव का निर्धारण संपूर्ण जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों के भारित औसत मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली से करके किया गया है । इस प्रयोजनार्थ आयातों के लैंडेड मूल्य की गणना संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयातों के सीआईएफ मूल्य में लागू आधारिक सीमाशुल्क और सुपुर्दगी प्रभारों में 1% जोड़कर की गई है ।

77. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गइ छूटों, डिसकाउंट और कमीशन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है।

78. कम दाम पर बिक्री के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयातों की भारित औसत लैंडेड कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान निर्धारित घरेलू

उद्योग की अक्षतिकारी कीमत और शेष वर्षों के लिए उत्पादन लागत से की गई है ।

79. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली और घरेलू उद्योग के लिए अनुमानित अक्षतिकारी कीमत से कम स्तर पर रहे हैं । इस प्रकार, काफी कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री रही है ।

(ii) पाटित आयातों से कीमत दबाव तथा मंदी संबंधी प्रभाव

80. पाटित आयातों के कीमत दबाव प्रभाव संबंधी जांच संबद्ध देशों की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और लैंडेड मूल्य के संदर्भ में की गई है ।

81. संबद्ध माल की उत्पादन लागत की प्रवृत्ति से वर्ष 2001-02 में काफी गिरावट दर्शाने के बाद पर्याप्त वृद्धि दर्शाई गई है । उत्पादन लागत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण काफी रही है जिनका उत्पादन लागत में प्रमुख हिस्सा है । किंतु, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के रुख में वर्ष 2000-01 तथा 2002-03 के बीच काफी गिरावट परिलक्षित होती है और जांच-अवधि के दौरान मामूली वृद्धि दिखाई देती है लेकिन यह अब भी उत्पादन लागत से काफी कम है और इसमें संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के कारण अपनी पूरी लागत वसूल करने हेतु अपनी कीमतें बढ़ाने में घरेलू उद्योग की असामर्थ्य इंगित होती है । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें पाटित स्रोतों के लैंडेड मूल्य से बैंच मार्क करने हेतु बाध्य होना पड़ा ताकि वह अपना बाजार हिस्सा कायम रख सके । अतः प्राधिकारी यह निर्णय देता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी कीमत दबाव तथा मंदी के प्रभाव पड़े हैं ।

ज.4 अन्य क्षतिकारकों की जांच

82. घरेलू उद्योग की मात्रा तथा कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और घरेलू उद्योग की आयात मात्रा तथा मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियों जैसे प्रमुख क्षति संकेतकों और पिछले भाग में विभिन्न खंडों के बाजार हिस्सों के साथ मांग पैटर्न की जांच किए जाने के बाद अन्य आर्थिक कारकों जिससे घरेलू

उद्योग को होने वाली क्षति होना इंगित होता है, का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

i) **उत्पादकता पर वास्तविक तथा संभाव्य प्रभाव**

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जांच अवधि)
उत्पादकता	प्रति कर्मचारी	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100.00	124.18	124.35	145.99
उत्पादकता	मी.टन/दिन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100	123.21	120.54	136.89

83. घरेलू उद्योग की उत्पादकता को उसके उत्पादन की श्रमिक उत्पादकता और दैनिक उत्पादन के रूप में मापा गया है और इसमें काफी सुधार हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्योग ने लागत कटौती करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के उद्देश्य से अपनी उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास किया है । किंतु, इस बढ़ी हुई उत्पादकता के फलस्वरूप इसकी बिक्रियों में कम वसूली होने के कारण उत्पादकता नहीं बढ़ पाई है ।

ii) **लाभ तथा नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभाव्य प्रभाव**

84. घरेलू उद्योग के अपने घरेलू प्रचालनों से कुल राजस्व तथा नकद प्रवाह में घरेलू उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि के कारण मामूली सुधार परिलक्षित होता है किंतु वर्ष 2001-02 के दौरान उसकी लाभप्रदत्ता में सुधार होने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट आई है और उसे प्रति इकाई वसूली में गिरावट के बारण जांच अवधि के दौरान क्षति होना जारी रहा । आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अनेक कारकों के निष्पादन में सुधार होने के बावजूद उद्योग पाटित आयातों के मौजूदा कीमत स्तर के कारण अपनी लागत वसूल करने के लिए एक उचित कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है । घरेलू उद्योग को हुई हानि काफी तथा वास्तविक है:

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
लाभ					

बिक्री लागत	रू./मी.टन	****	****	****	****
सूचीकृत		100	85.73	90.60	90.96
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	****	****	****	****
सूचीकृत		100	98.85	92.47	95.58
लाभ/हानि	रू./मी.टन	(****)	****	(****)	(****)
सूचीकृत		(100)	48.49	(71.45)	(43.64)
घरेलू बिक्रियों पर कुल लाभ/हानि	लाख रू.	(****)	****	(****)	(****)
सूचीकृत		100	55.46	(84.58)	(58.04)
मूल्य ह्रास	लाख रू.	****	****	****	****
सूचीकृत		100	100.09	96.49	98.37
एनबीआर से नकद लाभ/हानि	लाख रू.	(****)	****	(****)	****
सूचीकृत		(100)	325.69	(63.89)	12.01

iii) **रोजगार तथा मजदूरियां**

85. रोजगार स्तर में मामूली गिरावट आई है । लेकिन वेतन तथा मजदूरियों के कारण व्यय में लगभग 20% की वृद्धि रही है । किंतु, वेतन तथा मजदूरी के संबंध में व्यय में वृद्धि तुलनीय अवधियों के दौरान उत्पादन में वृद्धि से कम ज्यादा रही है । अतः इस कारक से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति इंगित नहीं होती है ।

	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
रोजगार					
कर्मचारियों की संख्या	**संख्या**	****	****	****	****
प्रवृत्ति	**सूचीकृत**	100	104.51	104.51	102.26
मजदूरी	लाख रू.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	107.94	113.79	120.15
प्रति कर्मचारी मजदूरी	लाख रू.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	103.28	108.88	117.50

iv) पूंजी निवेश पर आय और पूंजी लेने की सामर्थ्य

86. घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य-निष्पादन का भी उसके नकद प्रवाह तथा पूंजी पर आय के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है । इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है । किंतु प्राधिकारी नोट करता है कि हालांकि इस कंपनी का समग्र कार्य-निष्पादन अच्छा है लेकिन उसके एनबीआर प्रचालन से उसके लाभ में वर्ष 2001-02 में लाभ दर्शाने के बाद कार्य-निष्पादन की स्थिति बिगड़ गई है । घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर आय की स्थिति वर्ष 2001-02 में सुधार होने के होने के बाद खराब हो गई । यह गिरावट काफी तथा वास्तविक है ।

लाख रु.

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 जांच अवधि
लगाई गई पूंजी-एनएफए + क्रियाशील पूंजी	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	96.33	101.84	100.52
लाभ	(****)	****	(****)	(****)
सूचीकृत	(100.00)	55.46	(84.58)	(58.05)
ब्याज	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	120.79	106.48	75.78
पीबीआईटी	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	445.27	146.79	108.42
लगाई गई पूंजी पर आय-एनएफए + क्रियाशील पूंजी	****	****	****	****
सूचीकृत	100	462.23	144.14	107.86

v) पूंजी निवेश

87. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता 6250 मी.टन से बढ़ाकर 8800 मी.टन कर दी जो लगभग *** करोड़ रू0 के पूंजी निवेश से मौजूदा क्षमता में अवरोधों को समाप्त करके की गयी है । जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा और आगे कोई नया पूंजी निवेश नहीं किया गया है और जैसाकि उन्होंने निवेदन किया है, उनकी आगे और कोई पूंजी निवेश करने की योजना नहीं है ।

vi) पाटन की मात्रा

88. पाटन की मात्रा उस सीमा के संकेतक के रूप में जिससे पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, से यह परिलक्षित होता है कि जांच-अवधि के लिए ऊपर उल्लिखित देशों/क्षेत्रों के विरूद्ध निर्धारित पाटन-मार्जिन काफी रहा है ।

vii) कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक

89. लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धीय प्रतिस्थापनों की कीमतों की जांच की गई है जिससे घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पाटित आयातों से इतर कारकों का विश्लेषण किया जा सके । संबद्ध देशों के निर्यातकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का आकार अन्यत्र संबद्ध माल के अन्य उत्पादकों की क्षमता की तुलना में खर्चीली है और इसीलिए घरेलू उद्योग का लागत ढांचा अप्रतिस्पर्धीय है । प्राधिकारी ने प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के लागत ढांचे और उनकी क्षमताओं की जांच की है । हालांकि ब्राजील के एक निर्यातक की क्षमता घरेलू उद्योग की क्षमता की तुलना में लगभग 50% अधिक है लेकिन कोई भी लागत लाभ साबित नहीं किया जा सका है । अतः इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों के तर्क वैध प्रतीत नहीं होते हैं ।

90. एक्रीलोनिट्राइट(एसीएन) और बुटाडीन (बीडी) एनबीआर के उत्पादन के लिए दो प्रमुख कच्चा माल होते हैं । इन दोनों मोनोमर्स की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि हुई है । प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में यह वृद्धि क्षति अवधि के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में उत्पादन लागत में वृद्धि से परिलक्षित होती है जो वर्ष 2000-01 में

गिरावट के बाद और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में मामूली वृद्धि के बाद हुई है हालांकि इससे विनिर्माण तथा बिक्री लागत प्राप्त नहीं होती है ।

91. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इस उत्पादक का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थापन नहीं होता है और मै0 अपार इंडस्ट्री भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है तथा इसीलिए घरेलू प्रतिस्पर्धा से कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । अतः संबद्ध देशों से पाटित आयातों को घरेलू उत्पादं के साथ प्रतिस्पर्धा करते और घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते नहीं पाया गया है ।

viii) **मालसूची**

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
मालसूची -अवधि के अंत में	मी.टन	****	****	****	****
सूचीकृत		100	341	315	213
उत्पादन के % के रूप में मालसूची	**** %	**** %	**** %	**** %	**** %
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	278.02	263.87	259.33

92. घरेलू उद्योग के मालसूची आंकड़ों से महत्वपूर्ण मालसूची तैयारी और घरेलू बाजार में अपना उत्पाद उतारने के संबंध में घरेलू उद्योग की असामर्थ्य इंगित होती है ।

ज.5 क्षतिकारकों के संबंध में निष्कर्ष

93. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी को यह अवश्य करना चाहिए कि वह पाटनरोधी शुल्क की लेवी को कायम रखने के वास्ते "वास्तविक क्षति" का पता लगाए और यदि क्षति का निर्धारण नगण्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही रोक देनी चाहिए । उन्होंने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन तथा दशा में अनेक कारकों की दृष्टि से सुधार परिलक्षित होता है । अतः

क्षति यदि कोई हो, नाकाफी है और इसे उक्त करार के अनुसार उसके आशय के भीतर वास्तविक क्षति नहीं माना जा सकता है ।

94. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वास्तविक क्षति के निष्कर्ष के लिए सभी कारकों के संदर्भ में कार्य-निष्पादन में क्षति अथवा खराब स्थिति देखना प्राधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है । अन्य सदस्य देशों में विधि-शासन तथा पद्धतियां अन्य कारकों की दृष्टि से सुधार दर्शाए जाने के बावजूद कुछ कारकों में स्थिति खराब होने के कारण वास्तविक क्षति के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराती हैं ।

95. प्राधिकारी ने उपरोक्त तर्कों को ध्यान में लिया है और यह पता लगाने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, विभिन्न क्षति कारकों की जांच की है। उपरोक्त आर्थिक कारकों की जांच से इंगित होता है कि हालांकि यह प्रतीत हो सकता था कि घरेलू उद्योग ने कतिपय कारकों की दृष्टि से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है जिनमें उत्पादन तथा बिक्री मात्रा शामिल हैं, यह उसकी लाभप्रदता में सुधार में परिवर्तित नहीं हुआ है और इस उद्योग को अपने घरेलू प्रचालन में अभी भी हानि होती है । बिक्री वसूली तथा वित्तीय हानियों में गिरावट और बाजार हिस्से में गिरावट काफी तथा वास्तविक हैं हालांकि बिक्री मात्रा तथा उत्पादकता सहित अनेक अन्य कारकों के निष्पादन में सुधार हुआ है। अतः यह बात स्पष्ट है कि उत्पादन मात्रा, बिक्री तथा उत्पादकता की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन से उसके लाभ और बाजार हिस्से में सुधार नहीं हुआ है।

96. प्राधिकारी नोट करता है कि उक्त करार में उन सूचीबद्ध कारकों की उद्देश्यपूर्ण जांच का प्रावधान है जो न तो अंतिम है और न ही उनमें एक अथवा अनेक से वास्तविक क्षति का एक स्पष्ट निर्णयकारी संकेत मिलता है । अतः इच्छुक पक्षकारों के यह तर्क कि विभिन्न कारकों में सुधार के फलस्वरूप "घरेलू उद्योग को नाकाफी अथवा कोई क्षति होगी," सही प्रतीत नहीं होते हैं । उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी वास्तविक क्षति के संबंध में अपने जांच-परिणामों की पुष्टि करता है ।

ज.6 अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

97. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयात जिम्मेवार नहीं है । उन्होंने तर्क दिया है कि उत्पादन लागत

तथा अन्य कुशलताओं के बीच अंतर और घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों के निर्यातकों में अंतर काफी है । अतः क्षति यदि कोई हो, घरेलू उद्योग की अकुशलता तथा खर्चीले संयंत्र आकार की वजह से है और इसे संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों को कारण नहीं माना जा सकता है । उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि अपनी सीमित क्षमता की वजह से आवेदक घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है । प्रयोक्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि लागत तथा कीमत परिदृश्य में पिछले एक वर्ष में पूर्ण रूप से परिवर्तन आया है । हालांकि उपलब्धता दुर्लभ है और माल की सप्लाई आबंटन आधार पर होती है लेकिन पाटन असंगत है क्योंकि कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है ।

98. इच्छुक पक्षकारों ने आगे यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी को यह अवश्य करना चाहिए कि कोरिया, जर्मनी, जापान तथा ताइवान जैसे अन्य स्रोतों से हुए आयातों की वजह से क्षति को अलग-अलग कर दिया जाए क्योंकि इन स्रोतों से काफी आयात होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

99. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र दृष्टि से तथा मांग में हिस्से की दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है । इन देशों/क्षेत्रों से हुए आयात में वृद्धि से बाकी देशों की तुलना में अपेक्षतया अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है और इन स्रोतों से हुए पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को काफी समाप्त किया गया है । संबद्ध देशों से हुए पाटित आयात के लैंडेड मूल्य से घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री की स्थिति आई है जिससे घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अपने बाजार हिस्से और बिक्री की मात्रा को कायम रखने के लिए अपनी कीमतें कम रखने पर बाध्य होना पड़ा । इससे यह भी परिलक्षित होता है कि उत्पादन मात्रा तथा बिक्री में सुधार से मात्रा तथा कीमत प्रभावों के कारण पाटित आयातों तथा क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए पाटित आयातों की कीमतों के दबाव के कारण घरेलू उद्योग को होने वाले लाभ में परिवर्तन नहीं आया है ।

100. किंतु, इच्छुक पक्षकारों के इन तर्कों के मद्देनजर कि क्षति अन्य कारकों की वजह से न कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से हुई है, प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के मुद्दे तथा अश्रेयस्कर कारकों की जांच की है जैसाकि उक्त नियमावली में यथाविहित है जिससे क्षति यदि अन्य कारकों की वजह से हुई है

उसे अलग कर दिया जा सके । इस संबंध में उक्त नियमावली में यथाविहित निम्नलिखित संकेतात्मक कारणों की जांच की गई है:

i) **अन्य स्त्रोतों से हुए आयातों की मात्रा तथा कीमतें**

101. अनुच्छेद 3.5 में प्रावधान है कि अश्रेयस्कर विश्लेषण के कारक के रूप में पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा तथा मूल्य के संबंध में जांच की जाए। प्राधिकारी नोट करता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों/क्षेत्रों को छोड़कर जापान, कोरिया, जर्मनी तथा चीनी ताइपेई सहित अनेक अन्य देशों से आयात हुए हैं जिनके विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है और यह मात्रा भी काफी है । यह भी नोट किया जाता है कि एक अलग जांच में प्राधिकारी ने कोरिया तथा जर्मनी से पाटन तथा क्षति जारी रहने के संबंध में निष्कर्ष दिया है । अतः इन स्त्रोतों से होने वाले आयातों को पाटित आयात माना गया है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि पहले ही शुल्क वाले आयातों से आयातित माले के लैंडेड मूल्य पर प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क मौजूदा जांच में शामिल देशों से आयातित माल के लैंडेड मूल्य से अधिक है । अन्य अपाटन-स्त्रोतों से हुए आयातों की मात्रा कुल आयातों के 3% और कुल मांग के 1.5% रही है । अतः इन स्त्रोतों से होने वाले आयातों के कारण हुई क्षति की संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयात के कारण नही माना गया है ।

ii) **मांग में कमी और/अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव**

102. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में लगभग 59% की काफी बड़ी वृद्धि दर्शाई गई है । घरेलू बाजार में इस उत्पाद के खपत पैटर्न में ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है जोकि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का कारण बन सके ।

iii) **व्यापार की प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

103. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एकमात्र घरेलू उत्पादक पाटनरोधी शुल्क लगवाकर प्रतिस्पर्धा रोकते हुए एकाधिकार का बाजार तैयार करने का प्रयास कर रहा है । प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध माल का आयात मुक्त रूप से हो सकता है और घरेलू बाजार में इसकी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं हैं।

मै0 अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही देश में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है । देश में उचित व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है और विभिन्न देशों से संबद्ध माल का आयात होता है और वह घरेलू उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्धा करता है । किंतु, विभिन्न स्रोतों से हो रहे आयात का प्रमुख भाग या तो पाटित आयातों के रूप में निर्धारित किया गया है अथवा वह पाटन के आरोप के संबंध में जांच के अधीन होता है । अतः प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों/क्षेत्रों सहित अनेक देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और इसीलिए घरेलू उद्यो को हो रही मौजूदा क्षति का कारण व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों अथवा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा नहीं माना जा सकता है ।

iv) प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

104. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का अकुशल संयंत्र आकार उसे हो रही क्षति का एक कारण हो सकता है । संबद्ध देशों में सहयोगकारी विदेशी उत्पादक की उत्पादन सुविधाओं की भी पड़ताल की गई और यह देखा गया कि वे उत्पादक उसी तरह ही उत्पादन प्रौद्योगिकी को लागू करते हैं । वास्तव में, विश्व के अधिकांश उत्पादक गुडइयर जैसे प्रौद्योगिकी की अग्रणीय संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं । इन उत्पादकों की उत्पादन क्षमता तथा मात्रा का भी सत्यापन किया गया । कोरियाई उत्पादक को छोड़कर इन उत्पादकों की क्षमताएं भारत के घरेलू उत्पादक की क्षमता से ज्यादा भिन्न नहीं है । अतः घरेलू उद्योग की अकुशल क्षमता अथवा प्रौद्योगिकी विकास अथवा उत्पादन की अकुशल पद्धति के तर्क को घरेलू उद्योग को होनें वाली क्षति का एक कारण नहीं माना जा सकता ।

105. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद का बहुत ही छोटा निर्यात कारोबार होता है, हालांकि इसने जांच अवधि के दौरान सतत वृद्धि दर्शाई है । अतः घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन बहुंत ही कम महत्वपूर्ण है और इससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर जारी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । अतः निर्यात निष्पादन को घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का एक कारण नहीं माना जा सकता है ।

v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

106. श्रमिक उत्पादन तथा दैनिक उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में काफी सुधार दर्शाया गया है । अतः उत्पादकता एक ऐसा कारक नहीं है जो घरेलू

उद्योग को होने वाली क्षति का कारण बन सके । वास्तव में, घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता में सुधार करते हुए अपने घरेलू प्रचालन में होने वाली हानि को कम करने का प्रयास किया है ।

107. ऐसा कोई अन्य कारक प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को हो रही हानि की संभावना होती हो ।

108. उपरोक्त जांच के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध माल का निर्यात ऐसी कीमतों पर किया जाता है जो उनके सामान्य मूल्य, घरेलू उद्यो की अक्षतिकारी कीमत तथा याचिकाकर्त्ता की संबद्ध माल की औसत बिक्री वसूली से कहीं कम हैं और इस प्रकार कारणात्मक संबंध स्पष्टतया सिद्ध हो गए हैं ।

109. ब्राजील के निर्यातकों ने अपने प्रकटन-पश्चात निवेदनों में तर्क दिया है कि अन्य स्रोतों, मुख्यतया कोरिया से हुए आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को अलग कर दिया गया है और ब्राजील से हुए आयातों के कारणों की जांच की जानी चाहिए थी । उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि जांच-अवधि के दौरान ब्राजील से लैण्डेड मूल्य में वास्तव में वृद्धि हुई जबकि अन्य स्रोतों के मामले में कीमतों में स्पष्ट गिरावट आई है । अतः ब्राजीलियाई निर्यातों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई नहीं कहा जा सकता है । किन्तु, प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को हुए ब्राजीलियाई निर्यातों, अलग-अलग तथा संचयी दृष्टि से, की वजह से घरेलू बिक्री कीमतों में काफी कटौती हुई और वह भी इस तथ्य के बावजूद कि ब्राजील से लैण्डेड मूल्य में वृद्धि हुई है । जहां तक अन्य स्रोतों से हुए आयातों का संबंध है, कारणात्मक विश्लेषण से स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि पहले से ही पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य स्रोतों जिनमें कोरिया शामिल है, से हुए आयातों में 61% की वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में 270% की वृद्धि हुई है । संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 10% की वृद्धि हुई है जबकि अन्य पाटित स्रोतों का हिस्सा केवल 2% ही बढ़ा है । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि चूंकि अन्य पाटित आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है अतः इन आयातों के कीमत प्रभाव को उपलब्ध शुल्क संरक्षण की सीमा तक दूर किया जाता है । अतः इस संबंध में निर्यातकों के तर्कों को सर्मिन नहीं दिया जा सकता है ।

झ. क्षति की मात्रा तथा क्षति मार्जिन

110. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त निर्यातों के लैंडेड मूल्य से की गई है । संबद्ध देशों से हुए निर्यातों की भारित औसत लैंडेड कीमत और क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है:

कंपनी/देश	लैंडेड मूल्य	एनआईपी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन सीमा
मै0 पेट्रोफ्लेक्स, ब्राजील	****	****	****	5-15%
मै0 निट्रिफ्लेक्स, ब्राजील	****	****	****	10-20%
ब्राजील -अन्य	****	****	****	15-25%
ईयू(जर्मनी से इतर)	****	****	****	10-20%
मेक्सिको	****	****	****	40-50%

111. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अक्षतिकारी कीमत उन आंकड़ों/जानकारी की तुलना में कम है जिनके आधार पर यह निर्धारण किया गया है । उन्होंने अनेक लागत-तत्वों और क्षति मार्जिन गणना पद्धति के संबंध में अपने विचारों को दोहराया है । किंतु, प्राधिकारी नोट करता है कि प्राधिकारी की समनुरूप पद्धति को घरेलू उद्योग की अक्षतिकारी कीमत और क्षति मार्जिनों के निर्धारण हेतु अपनाया गया है । अतः इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों को समर्थन नहीं दिया जा सकता है ।

ट. निष्कर्ष

112. इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के पास इच्छुक पक्षकारों के निवेदनों की गार्फत अथवा अन्यथा जैसाकि उपरोक्त जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है, की जांच करने के पश्चात और पाटन तथा क्षति की सीमा के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निर्णय देता है कि:-

i) संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध माल का आयात का भारतीय बाजार में प्रवेश संबद्ध देशों/क्षेत्रों के उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर हुआ है;

ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और

iii) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध माल के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव, दोनों के संचयन से हुई है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

113. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में यपाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना होता है जिससे भारतीय बाजार में मुक्त तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनर्स्थापित हो सके जोकि देश के सामान्य हित में जरूरी है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी तरह से रोके नहीं जा सकेंगे और इसीलिए उनका उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ड. सिफारिशें

114. संबद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन और ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि किए जाने के बाद और प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाना आवश्यक है और इसीलिए वह सिफारिश करता है कि नीचे वर्णित रूप तथा तरीके में संबद्ध देशों से होने वाले सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए ।

115. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए अपेक्षतया कम शुल्क वाले नियम को देखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से कम राशि के बराबर की राशि के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कालम 9 में इंगित राशि की बराबर राशि के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करता है ।

शुल्क तालिका

क्र स	उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण	विशेष विवरण	उदभव का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	40.02	एक्रीलो निट्राइल बुटाडिन रबड़(एनबीआर) (पाउडर और कारबोजेलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील	ब्राजील	मै0 पेट्रोफ्लेक्स, ब्राजील	मै0 पेट्रोफ्लेक्स, ब्राजील	195.08	मी.टन	अम.डा.
2	-वही-	-वही	-वही	ब्राजील	ब्राजील	मै0 नाइट्रोफ्लेक्स, ब्राजील	मै0 नाइट्रोफ्लेक्स, ब्राजील	274.51	मी.टन	अम.डा.
3	-वही-	-वही	-वही	ब्राजील	ब्राजील	कोई	उपरोक्त से इतर कोई	306.55	मी.टन	अम.डा.
4	-वही-	-वही	-वही	ब्राजील	मेक्सिको को छोड़कर कोई	कोई	कोई	306.55	मी.टन	अम.डा.
5	-वही-	-वही	-वही	मेक्सिको को छोड़कर कोई	ब्राजील	कोई	कोई	306.55	मी.टन	अम.डा.
6	-वही-	-वही	-वही	ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	223.19	मी.टन	अम.डा.
7	-वही-	-वही	-वही	ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	ब्राजील तथा मेक्सिको से इतर कोई	कोई	कोई	223.19	मी.टन	अम.डा.
8	-वही-	-वही	-वही	ब्राजील तथा मेक्सिको से इतर कोई	ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	223.19	मी.टन	अम.डा.
9	-वही-	-वही	-वही	मेक्सिको	मेक्सिको	कोई	कोई	306.37	मी.टन	अम.डा.
10	-वही-	-वही	-वही	मेक्सिको	कोई	कोई	कोई	306.37	मी.टन	अम.डा.
11	-वही-	-वही	-वही	कोई	मेक्सिको	कोई	कोई	306.37	मी.टन	अम.डा.

116. उपर्युक्त के अध्यधीन प्राधिकारी दिनांक 30 मार्च, 2005 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

ढ. अगली प्रक्रिया :

117. इस निर्धारण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

118. प्राधिकारी उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों और समय- समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय- समय पर इनमें यथा अनुशंसित निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने या उनकी समाप्ति की आवश्यकता की समीक्षा कर सकेगा । प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए किसी अनुरोध पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई इच्छुक पक्षकार इसे, इस उद्देश्य हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है ।

क्रिस्टो एल. फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th October, 2005
Final Finding

Subject :—Anti-dumping investigation involving import of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) from the European Union (Excluding Germany), Mexico and Brazil.

A. Background and Initiation :

No. 14/32/2003-DGAD.—Whereas on the basis of a fully documented application filed by M/s Apar Industries Ltd. (herein after referred to as the Applicant) alleging dumping of Acrylonitrile Butadiene Rubber or NBR (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from the European Union (excluding Germany), Brazil and Mexico (herein after referred to as subject countries/territories) and consequent injury to them, the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred as Rules), vide notification dated 17th August 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiated this Anti-Dumping investigation in accordance with the sub-Rule 5(5) of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping, and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. And whereas, the Authority notified its preliminary findings vide notification dated 30th March 2005, published in the Gazette of India Extraordinary, recommending imposition of provisional antidumping duty on the subject goods imported from the subject countries. The Central Government vide Notification No. 53/2005-Customs Dated 7th June 2005 imposed provisional antidumping duty on the subject goods.

B. Procedure

3. Procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the preliminary findings of the Authority

(i) The Designated Authority sent copies of preliminary finding dated 30th March to all interested parties to this investigation, including the Embassies/representatives of the subject countries/territories in India, cooperating exporters from the subject countries, domestic industry and the importers participating in the investigation requesting them to make their views known in writing within 40 days of the notification of the preliminary findings..

ii) The following exporters from the subject countries filed their questionnaire response after the initiation of the investigation and fully cooperated in the investigation.

1. M/s Nitriflex do Brasil S. A. Industria E. Commercio, Brazil (Nitriflex)
2. M/s Petroflex, . Industria E. Commercio S.A.Brazil (Petroflex)

In addition to the above exporters from Brazil M/s Lanxess Elastomere, SAS, France filed only general response and did not fully participate in the investigation.

iii) None of the importers of the subject goods filed any questionnaire response in the form and manner prescribed. However, the following importers and other interested parties participated in the investigation and filed their general responses/comments at different stages of the investigation.

1. All India Rubber Industries Association;
2. All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers;
3. M/s Gates India Pvt. Ltd.
4. M/s Sundeam Industries Ltd;
5. M/s Lanxess India Ltd.

iv) The comments of the interested parties in response to the initiation of the investigation and the preliminary findings have been taken on record and the Authority has examined the issues raised therein in this finding. For the sake of brevity the comments of various interested parties and issues raised prior to the preliminary findings and addressed therein have not been repeated in this finding. The submissions made by all interested parties have been summarized and included in the findings without reproducing individual submission as has been argued by certain interested parties.

v) The Authority has examined the confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them. The information, which

are by nature confidential or which have been provided on a confidential basis by the interested parties alongwith non-confidential summary thereof, have been treated confidential. *** in this Notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by Authority under the Rules;

vi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties

vii) The Authority held a public hearing on 17th May 2005 to provide an opportunity to all interested parties to present there views. Written submissions made by the parties in on the basis of the oral submissions made during the public hearing have been taken on record for the purpose of this investigation.

viii) The Authority issued disclosure statements to all interested parties on 20th July 2005, intimating the essential facts under consideration by the Authority and methodology of determination proposed to be adopted by the Authority, and calling for the comments of the interested parties to the said disclosure. Comments of the interested parties, to the extent they are relevant have been considered by the Authority in this finding.

ix) Investigation was carried out for the period starting from 1.4.2003 to 31.3.2004 (POI).

C. Product under Consideration and Like Article

4. As notified in the preliminary findings the product under consideration in this investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber. In the preliminary findings it was clarified that the investigation covers all grades of NBR in bale form only. Other forms of NBR exported from the subject counties are therefore, not covered under the product under consideration. A doubt was raised by the interested parties whether the product under consideration also covers Carboxylated NBR which is also manufactured in Bale form. It was also clarified that the present investigation covers only normal NBR in bale form, which excludes powder NBR and carboxylated NBR.

5. The interested parties have argued that the product under consideration in the present investigation should not have been restricted to NBR in bale form only as the earlier investigations cover all types of NBR irrespective of its form. They have argued that admittedly NBR in bale form is technically as well as commercially substitutable to NBR in other forms, and therefore, all form of NBR are like articles, which has been confirmed by the Appellate Tribunal. Therefore, categorization in this case is not appropriate.

6. The Authority notes that the 'product under consideration' defines the scope of the product, which is identified, for investigation and for the purpose of imposition of duty because of the alleged impact of the dumped import of this product on the 'like product' domestic industry. Therefore, 'product under consideration' represents the exact product allegedly being dumped and not the product allegedly being injured. In the context of domestic industry, the 'like article' is determined to examine the standing of the 'like product domestic industry' and also to examine the impact of the dumped imports of the 'product under consideration' on the 'like product domestic industry'. . Therefore, the Authority could not have expanded the scope of the product under consideration to include the product types, which are not been dumped. In the exporters context the 'like article' is required to be determined for the purpose of determination of 'normal value' when no identical product, to the product under consideration is available, in the exporting country market.

7. While there is no doubt about the fact that the appellate tribunal and the Authority had held earlier that all grades of NBR are substitutable and therefore, 'like articles' for the purpose of determination of 'standing of the domestic industry' and injury, and 'determination of normal value in the countries of exports', this does not mean that the entire product range needs to be examined when the allegation is of dumping of a narrow range of products. Similarly, it is not necessary to determine a 'like product' in the country of export when an equivalent or identical product is available in that market for determination of the normal value.

8. In terms of Article 2.6 of the Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

9. As far as 'domestic like product' is concerned, the Authority notes that major part of domestic industry's production and sales are of NBR bales only. The NBR in Bale form manufactured and sold by the domestic industry is technically identical and commercially substitutable to the product under consideration. Though other forms of NBR are also technically and commercially substitutable to the product under consideration, the Authority finds that because of the presence of an identical product in the domestic market there is no need to expand the scope of the like article to include other categories.

10. Therefore, for the purpose of determination of injury the Authority holds that NBR in Bale forms produced by the domestic industry is the like product to the product under consideration and impact of imports of NBR in Bale form on the like product domestic industry has been analysed accordingly.

11. As far as foreign like product is concerned, the exporters from Brazil have identical or equivalent grades of the product under consideration in their production line. They have substantial sale of the same in their home market as well as exports to India. Since identical grades are available in the domestic market compared to the grades exported to India, for the purpose of determination of the dumping margin of the cooperating exporters the Authority has considered the identical products sold in the domestic market and exported to India as the like products and normal value has been worked out based on those grades only.

12 As far as all other exporters from Brazil, Mexico and the EU are concerned, in the absence of details of the grades manufactured and sold in the domestic market the Authority has treated products imported from subject Countries/territories as identical in all essential characteristics and therefore, 'like article' to the product under consideration, within the meaning of the term as per the Rules.

13. In their post disclosure submission the exporters from Brazil and responding importers have argued that NBRs, even within the bale form, may attend different applications according to the way they are polymerized and the way the rubber adopts to the producers machineries and therefore, commercially all various grades within the bale form are priced differently and are not directly substitutable. They have also argued that domestic industry dose not offer all grades of NBR demanded by the Indian market. In this connection the Authority notes that the exports from Brazil are of only limited grades, which are equivalent to major grades manufactured and supplied by the domestic industry. However, as far as technical and commercial substitutability of various grades of NBR is concerned, the issue has been settled by the Appellate Authorities in respect of the same product and therefore, the Authority finds no reason to revisit the issue.

14. As far as restricting the scope of the product under consideration is concerned the Authority notes that while all jurisprudence suggests that the scope of the product under consideration should be as narrow as possible, the interested parties have argued for a broad coverage of the product. The Authority notes that adequate reasoning has been provided in the foregoing paragraphs ofr restricting the scope of the product under consideration. Therefore, the Authority confirms the scope of the product under consideration and like article as above.

D. Classification

15. Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) is classified in the category of rubber and articles thereof under chapter 40 of the Customs Tariff Act, and ITC HS Classification under the category of synthetic rubber under sub-heading no. 40.02 at four-digit level and under no. 4002.59 at six-digit level. Though the above is the dedicated head for NBR the Authority notes that import of NBR has been reported under other heads describing NBR merely as synthetic rubber.

Therefore, Customs and ITC HS classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

E. Standing of the Domestic Industry and initiation of the investigation

16. No substantial argument has been raised about the standing of the applicant to file this application. The applicant M/s. Apar Industries Ltd., Mumbai, is the sole producer of the subject goods in India and accounts for complete production of subject goods in India. Therefore, the Authority confirms its findings in the preliminary determination in respect of the standing of the domestic industry within the meaning of the Indian Antidumping Rules.

F. De Minimis Limits of Import Volumes

17. For the purpose of this investigation the European Union has been treated as a single customs territory and the preliminary findings were issued accordingly. M/s Gates India Ltd has argued that EU cannot be treated as a single territory for the purpose of Antidumping investigation and imports from several EU member countries are either nil or de minimis. In this connection the Authority notes that Section 9A (1), read with Rules 2 (f) and Rule 10 provides that when an article is exported from any 'country' or "territory' [as defined under Rule 2(f)] to India at less than its normal value, the Authority can investigate and recommend imposition of antidumping duty subject to the provisions of the said Rules. Therefore, the Authority confirms its findings in this respect.

18. The Government of Mexico made a preliminary submission arguing that as per their export statistics there is no export of the subject goods from Mexico to India during the POI. The Authority has addressed this issue in its preliminary findings on the basis of facts available with it. However, in its post preliminary finding submissions the Government of Mexico has reiterated its stand without providing any substantive information on the volume of exports of the subject goods from Mexico. Therefore, the Authority confirms its findings in this regard.

19. The imports from the countries/territories named have been found to be above de minimis levels.

F. Other submissions and issues raised

F.1 Confidentiality and disclosure of information

20. In their post preliminary finding submissions the exporters and other interested parties have reiterated their stand that investigation should not have been initiated as the non-confidential application filed by the domestic industry did not provide adequate non-confidential disclosure of the estimates of normal value on the basis which the allegation of dumping was made by them. The Authority notes that the investigation was initiated on the basis of fully documented application filed by the applicant containing the information on

normal value in the subject countries/ territories that was reasonably available with them. The estimation of normal value in the EU was based on certain offer for sale in that market and normal valued in the other countries was estimated on reasonable basis. After the interested parties requested additional disclosure of the estimates of the normal value the applicant provided supplementary information, which was also placed in the public file.

21. The domestic industry has also argued that the responding exporters in this case have not provided adequate non-confidential disclosures on several vital information and no good cause has been shown for not providing non-confidential summary of such information.

22. In this connection the Authority notes that it is obligatory on the part of the parties providing information to the Authority on confidential basis to provide non-confidential summaries thereof, failing which the Authority may disregard such information. However, as far as actual determination of the normal values in these countries / territories are concerned, the same has been based on the actual data provided by the cooperating exporters and therefore, the interests of the parties have not been affected by the estimation of the normal value by the applicant in the initial application for investigation.

23. The interested parties have also submitted that adequate information on the methodology and calculations of dumping and injury margins have not been made available to them through the preliminary finding. The Authority notes that the dumping margin calculations were communicated to the cooperating exporters through the exporter's verification reports. As far as injury margin calculation is concerned, the same was communicated in indexed manner since it involved confidential commercially sensitive information of the domestic industry. Therefore, the arguments of the interested parties in this respect are not correct.

24. The exporters and other interested parties, including the Government of Brazil, in their post disclosure submissions, have again reiterated that the Non-confidential petition filed by the domestic industry has remained defective in violation of Rule 7 of the Agreement. In this connection the Authority notes that the confidentiality claims of domestic industry have been carefully considered by the Authority. The applicant being the sole producer of the subject goods and being a multi-product company the information relating to its production and sales have been claimed as confidential and have been treated so by the Authority and indexed data in respect of all the information have been adequately provided in the disclosures for a meaningful understanding of the same.

25. It has also been argued that certain figures in the disclosures have changed compared to the preliminary findings without providing any explanation for such changes. The Authority notes that the preliminary findings are generally issued based on preliminary estimation and therefore, all information cannot be

expected to be complete in all respect at the time of preliminary findings. However, the final findings has taken into account verified data of the interested parties to the extent they are relevant. Therefore, the arguments of the interested parties have not been found to be acceptable.

26. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties and to the extent they are relevant, these issues have been addressed in this finding.

G. Determination of Dumping Margin

27. On the basis of the comments of the interested parties to the preliminary findings, the Authority has made its final determination in respect of the normal value; export price and dumping margins as follows:

G.1 Brazil

28. The Authority has received full cooperation from two manufacturer-exporters from Brazil and their respective data has also been verified. On the basis of the submissions made by them and their data on normal value and export price the dumping margin for Brazil has been determined as follows;

G.1.1 M/s Nitriflex, Brazil

a) Normal Value

29. The Authority has determined the Normal value in respect of this cooperating exporter from Brazil on the basis of their home market sales in the ordinary course of trade, duly adjusted for level of trade adjustments on account of their domestic indirect taxes; inland transportation, handling and insurance costs; and credit costs on domestic sales, have been re-worked out to arrive at the net ex-works normal value for this cooperating exporter as follows:

Product Code	Quantity KG	Gross Invoice Value US$	Total Adjustments US$	Net Ex-works Value US$	Net Ex-works Price US$/ Kg
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
Weighted Average Ex-works Price					*****

b) Export Price

30. The net ex-works export price of the exporter has been worked out on the basis of their data on exports to India duly adjusted towards discounts; inland

freight, insurance and handling charges; international freight, insurance and handling; Commission and credit costs. Certain computation errors have been rectified and the net export price for this exporter has been worked out as follows:

Product Code	Quantity KG	Gross Invoice Value US$	Total Adjustments US$	Net Export value US$	Net export price US$/Kg
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
Weighted Average Ex-works Price					*****

c) Dumping Margin

31. The net export prices determined for individual grades of NBR have been compared with the respective normal values at ex-works level and weighted average dumping margin has been worked out as follows:

Product Code	Qty of Exports (Kgs)	Normal Value (US$/Kg)	Export Price (Us$/Kg)	Dumping Margin (US$/Kg)	Weighted Average Dumping Margin (US$/Kg)	Dumping Margin (%)
1	*****	*****	*****	*****		
2	*****	*****	*****	*****		
Weighted Average Dumping Margin					*****	32%

M/s Nitriflex, Brazil has not raised any objection to the dumping determination disclosed to them in the confidential disclosure. Therefore, the dumping determination in respect of this exporter has been confirmed.

G1.2 M/s Petroflex, Brazil

32. The Authority notes that the normal values, export prices and dumping margins were determined in the preliminary findings, based on the domestic sale prices of the cooperating exporter, in the ordinary course of trade and the export transactions of the exporter to India. The details of this determination were also communicated to the exporter through the exporter's verification report. The exporter has not contested the determination by the Authority. Therefore, the Authority confirms the determination in respect of this exporter as follows:

a) Normal Value

33. The domestic sale transactions of equivalent grades of NBR sold in the domestic market in the ordinary course of trade has been adjusted towards domestic taxes and Credit costs as the transactions are at ex-works level, to arrive at the net ex-works prices. Average normal values for the individual grades have been worked out as follows:

Product	Quantity Kg	Gross Value (R$)	Total Adjustments R$	Net Invoice Value (R$)	Ex-works Price US$/MT	Ex-works Price US$/Kg
1	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Weighted Average Ex-works Price						*****

b) Export Price:

34. Verified export sales transactions of the respective grades of NBR have been adjusted for inland transportation, ocean freight insurance and commission. Accordingly, net ex-works export prices for the two grades worked out as follows:

Product code	Quantity	Gross Value (US$)	Total Adjustments (US$)	Net Ex-works (US$)	Ex-works Price (US$/Kg)
1	*****	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****	*****
Weighted Average Ex-works Price					*****

c) Dumping Margin

35. For arriving at the dumping margin average export price of individual grades have been compared with the average normal value of the same grades at the same level of trade, i.e. at ex-works level, during the POI and weighted average dumping margin has been determined for the product under consideration. The exporter has not claimed any adjustments towards the differences, which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences, which are demonstrated to affect price comparability.

36. Accordingly, the dumping margins for the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have been confirmed as under:

Product code	Quantity KG	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Weighted Average Dumping Margin	DM %
		US$/Kg	US$/Kg	US$/Kg	US$/Kg	
1	*****	*****	*****	*****		
2	*****	*****	*****	*****		
Weighted Average Dumping Margin					*****	22%

37. In their post disclosure submission M/s Petroflex has submitted that their export prices to India are much higher than their cost of production and the subject goods are sold at the market driven prices consistent with the export prices prevailing in Asia pacific region. Therefore, their exports to India do not constitute dumping. However, they have not commented on the dumping margin determination communicated to them. Therefore, the dumping margin determination in respect of this exporter has also been confirmed.

G.1.3 All other exporters from Brazil

38. Normal value for all other exporters from Brazil has been determined based on the highest weighted average normal value based on the domestic sales data of the cooperative exporters from Brazil as best facts available. Accordingly, the Normal Value for all other exporters from Brazil has been assessed as US$ *****per KG

39. Ex-works Export Price has been determined on the basis of lowest export price from the cooperative exporter from Brazil after allowing for adjustments towards commissions (@***%), inland freight, ocean freight and insurance which is assessed as US$ *****per Kg.

40. Accordingly, dumping margin for all non-cooperative exporters from Brazil has been estimated as US$*****per Kg (37%). The dumping margins so assessed are above the de-minimus limits and are considered significant

G.2 <u>European Union</u>

41. Only responding exporter from the European Union i.e. M/s Lanxsess Elastomere filed only a partial response to the investigation and in their subsequent submissions they have argued that there is no necessity for them to enter into and produce detailed data in view of the numerous defects in the application itself, which merits the termination of the investigation *in limine*. They have further submitted that the data provided by them is more than sufficient for

the proceedings. They have reiterated their stand in their post-preliminary finding submissions also.

42. The Authority has taken note of the arguments of this exporter in the preliminary findings and accordingly, the dumping margin for the European exporters was estimated on the basis of facts available. No substantive information has been provided by the exporters from the European Union, including M/s Lanxess Elastomere, in their questionnaire response and in their post-preliminary finding submissions. Therefore, the Authority holds M/s Lanxess Elastomere as non-cooperative for the purpose of this determination and ignores the submissions of this exporter. Accordingly, dumping margin determined by the Authority in respect of all exporters from the European Union in the preliminary findings based on facts available is confirmed as follows:

a) Normal value: All exporters from the EU

43. Annex II read with Article 6.8 of the Antidumping Agreement provides that the if information required from an interested party is not supplied in the form and manner prescribed within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry. The lone responding exporter from the European Union did not cooperate with the Authority in this investigation and no other interested party has provided any credible information about the domestic sales prices in the European Union. Therefore, the Authority has relied upon the information provided by the domestic industry on the domestic sale price of the subject goods in the European market and confirms the dumping margin determined in the provisional findings as follows:

44. Normal value for all exporters in the EU has been estimated as US$*****Per Kg for Medium NBR and US$*****Per Kg for High NBR after allowing for level of trade adjustments to bring the normal values to ex-works level on facts available basis.

45. Net export price has been estimated as US$ *****per Kg for Medium NBR and US$*****per Kg for High NBR after adjusting the actual export price reported on facts available basis. Accordingly weighted average dumping margin for all exporters in the European Union works out as under:

Dumping Margin

Product Code	NV	EP	DM	Weighted Average	DM %
1	*****	*****	*****	*****	26%
2	*****	*****	*****		

G.3 Mexico

46. The Authority notes that no response has been received from the exporters from Mexico. The Government of Mexico has represented that there has been no export of the subject goods from Mexico. This stand has been reiterated in their post-preliminary finding submissions without providing any credible information or evidence about actual exports of the subject goods from that country. The petitioners have submitted adequate evidence of import of several consignments of the subject goods from Mexico. Therefore, the Authority confirms its findings in this respect.

47. However, the Authority notes that that export from Mexico are basically off-spec material. Nevertheless the off-spec materials are technically and commercially substitutable to the prime material being manufactured and sold by the domestic producers as well as imported prime materials and therefore, affect the market share and price in the domestic market. Therefore, the Authority confirms the dumping margin estimated for Mexico in its preliminary findings as follows:

a) Normal Value

48. The Authority has constructed the normal value for Mexico for the off-spec material based on the normal value of the prime materials in Brazil and after necessary adjustments towards level of trade and also adjusting the normal value for the off-spec material by a factor of *****%. The normal value so estimated works out to US$ *****per MT

b) Export Price

49. The net ex-factory export price has been determined from the DGCI&S data after adjusting the same for the ocean freight, insurance and handling, inland freight, local levies etc. on the facts available basis and the same has been determined as US$ *****Per MT.

c) Dumping Margin

50. On the basis of the above determination of normal value and export price for the off-spec materials from Mexico the dumping margin for all exporters from that country works out to US$ *****Per MT.

G.4 Dumping Margins: Summary

Country	Exporter	DM US$/Kg	% DM
Brazil	M/s Petroflex	*****	22%
	M/s Nitriflex	*****	32%
	All Others	*****	37%

EU (Excluding Germany)	All Exporters	*****	**26%**
Mexico	All Exporters	*****	**50%**

H. INJURY DETERMINATION

51. Having established positive dumping margin for the subject goods exported from the subject countries/territories, the Authority has also examined the injury, if any, suffered by the domestic industry and the causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry. For the purpose of the injury examination the domestic industry constitutes the sole domestic producer and the petitioner company in the instant case.

H.1 Cumulative Assessment of Injury

52. The Authority notes that NBR is being imported from a number of countries including the countries/territories under investigation. The Authority also notes that antidumping duty is in force against Japan, Korea RP, Germany and Chinese Taipei. The imports from the subject countries have been found to be at dumped prices. Therefore, issue of cumulative assessment of injury to the domestic industry, on account of dumped imports, have been examined by the Authority on the basis of submissions made by the interested parties.

53. The interested parties, in their post-preliminary finding submissions, have argued that the cumulation is only permissible if the imports from various countries compete with each other and also compete with like products manufactured by the domestic industry. They have argued that price is a crucial factor to the substitutability analysis and therefore, substitutability and interchangeability should not be solely based on evaluation of distribution channels. They have argued that the price difference between the imports from the subject countries indicates that the products from these sources are not interchangeable and therefore, conditions of competition are not satisfied. They have further argued that cumulation of imports from other sources already attracting duty or under review investigations, are not permissible under Article 3.3 of the Agreement, which provides for cumulation of imports that are simultaneously subject to antidumping investigations, thereby expressly excluding reviews. They have further argued that even if the imports from certain other countries and the subject countries/territories are under simultaneous investigation, they cannot be clubbed in view of the fact that the products under consideration in these investigations have different definitions.

54. In summary, the interested parties in their various submissions, including post disclosure submissions, have argued that the subject goods being exported by various exporters from the subject countries/territories do not compete inter se and thus the conditions of competition between the dumped articles among themselves and with the domestic like product is not satisfied. It has also been argued that dumped imports from other sources under simultaneous

investigations cannot be cumulated with the dumped imports from the subject countries/territories in terms of Article 3.3 of ADA.

55. The Authority has taken note of the arguments by the interested parties on the question of cumulative assessment of injury to the domestic industry on account of simultaneous dumping of the product from various sources. The Annexure II para (iii) of the Anti Dumping Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that

I) the imports from individual countries are above de minimis or cumulatively account for more than 7% of imports:
II) the dumping margin against individual countries are above 2%; and
III) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles

56. As far cumulation of dumped imports from Korea RP, Germany and Taiwan under review investigations and Japan against which duty is in force, with the dumped imports from the subject countries is concerned, the Authority notes that the provision quoted above clearly provides for cumulation when the product is under 'simultaneous investigations' and the expression 'simultaneous investigations' does not in any way restrict to original investigations only. As far as product under consideration is concerned, the Authority has already recorded that the imports from Germany is negligible and imports from Korea and Taiwan are mainly in bale form only. However, not withstanding the above arguments, for the purpose of injury examination in this investigation the imports from sources other than the subject countries have not been cumulated with the imports from the subject countries as has been stated by some of the interested parties. These imports have been analysed separately for the purpose of causal link analysis under Article 3.5, which obligates the Authority to examine the effect of imports from other sources, other than dumped imports from the subject countries on the domestic industry. Therefore, arguments of the interested parties in this respect are not valid.

57. As far as culumation of dumped imports from the subject countries is concerned the Authority notes that the

i) The margins of dumping of the subject goods from each of the subject countries are more than the de minimis limits.

ii) The volume of imports from each of the subject countries is not negligible as defined in Article 5.8 of the Agreement.

iii) Dumped goods from the subject countries and domestically produced like articles are interchangeable and are being interchangeably used by the user industry. Transaction wise information on imports from the subject countries shows that the imports are being made by actual users, as well as traders who have purchased the material for reselling. Goods supplied by the countries involved are entering the Indian markets through the similar channels of distributions and directly competing in the Indian market.

iv) Products supplied from the subject countries are being marketed in India during the same period through comparable sales channels and under similar commercial conditions.

v) The domestic producer and exporters in the subject countries are selling the product to the same category of consumers.

vi) Examination of the price levels at which these products are entering the Indian market indicates that the landed value of goods at the Indian shore is in a narrow band between Rs70,000/ to 74,000/- per MT except for Mexico which admittedly exports only off spec materials at much lower landed value. Therefore, the price levels clearly indicate significant competition between the exports as well as with the domestic product in the Indian market. As far as imports from Mexico is concerned, the off spec material is also used interchangeably or with suitable blending with prime materials, thereby, displacing a significant share of the domestic market.

vii) Therefore, the imports from the subject countries are found to be competing amongst themselves as well as with the Indian products and significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.

58. The above examination indicates that the arguments of the interested parties as contained in their various submissions that the imports from the subject countries and domestic products do not satisfy the condition of competition for the purpose of cumulative assessment cannot be sustained. Therefore, the Authority holds that cumulative assessment of injury on account of dumped imports from the subject countries/territories is appropriate in this case since the exports of the subject goods from the subject countries/territories were directly competing amongst themselves as well as with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.

H.2 Material Injury

H.2.1 Views of the exporters, importers and other interested parties

59. The exporters and other interested parties in their post preliminary finding submissions have reiterated their arguments that the performance of the domestic industry has improved and the domestic industry does not suffer material injury. They have *inter alia* argued that while it is true that not all the injury parameters must establish injury, several of the parameters examined by the Authority show improvement and recuperation of the domestic industry. Therefore, a positive determination of injury cannot be established on the sole parameter of loss of market share, and loss in the domestic operations and profitability of the domestic industry.

H.2.2 Views of the Domestic Industry

60. As recorded in the preliminary findings, the domestic industry has argued that in spite of antidumping duty protection against imports from Japan, Taiwan, Germany and Korea RP, the domestic industry has suffered continued injury from dumped imports from subject countries/territories, as well as intensified dumping from some of the countries attracting duty. They have argued that though the antidumping duty protection against the above countries has helped them to improve their performance marginally, due to dumping from new sources i.e. the countries/territories named in this investigation and intensified dumping from the certain countries attracting duty they have not been able to benefit much out of it and continue to suffer material injury. They have further submitted that in spite of improvement in its productivity, and volume of output, reduction in cost of production through various cost-cutting measures they have failed to realize remunerative prices to recover their cost due to continued dumping from various sources, including the subject countries/territories.

61. The domestic industry has further argued that the parameters listed in Article 3.4 are neither exhaustive nor one or several of these factors necessarily can give decisive guidance. It is, therefore, not necessary that every injury parameter must reflect injury to the domestic industry. Quoting several decisions of the European Commission the domestic industry has argued that as per EC practice deterioration in performance of the domestic industry after improvement means deterioration, even if POI parameters are better than the base year parameters. They have argued that even when some parameters improved; it was held by the EC that the Community industry suffered material injury.

H.2.3 Examination by the Authority

62. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties in their post preliminary finding submissions with regard to the material injury to the domestic industry. The Authority also notes that antidumping duty is

in force against Japan, Taiwan, Korea and Germany and reviews against Korea, Germany has confirmed continued dumping from these countries. Therefore, for the purpose of injury and causal link analysis the imports from these countries also have been treated as dumped imports.

63. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

64. For the purpose of injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

(A) VOLUME EFFECT: Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

65. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries/territories, as well as dumped imports from other countries have been examined as follows:

i) Import Volumes and share of subject countries:

66. For the purpose of injury examination the Authority had adopted the DGCI&S data after adjusting the same for the imports from certain countries, which were on lower side compared to data available with the Authority from other sources. The interested parties have contested the data on the grounds that the reliability of the data was doubtful. The Authority notes that the preliminary finding itself clearly mentions that transaction level data of DGCI&S has been examined and compared with import data published by PPR for pruning unrelated products from the DGCI&S transaction level data to the extent possible. Data anomaly found in respect of certain countries have been removed to the extent possible by adopting the data from best available source and adjusting the DGCI&S data to that extent, without disclosing the source and figures in order to maintain confidentiality of the said sources and data involved.

Therefore, the data adopted for this injury analysis is the best reliable information available with the Authority. The Authority also notes that Carboxylated NBR and Powder NBR imported, mostly from the EU, constitute a very small portion of the total imports. However, for the purpose of injury analysis only NBR in Bale form has been examined. Therefore, the objections of the interested parties in this respect are not sustainable.

Country	Quantity in MT			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
EU (Excluding Germany)	489.12	435.53	1282.79	1771.17
Brazil	122.04	356.53	321	365.17
Mexico	22	55	104.72	207.15
Subject Countries (EU, Brazil, Mexico)	633.16	847.06	1708.51	2343.49
Trend	100	134	270	370
Others With Duty	2580	2857	3110	4148
Trend	100	111	121	161
Others	0	117.93	216.95	200.02
Total Others	2580	2974.93	3326.95	4348.02
Trend	100	115	129	169
Total Imports	3213	3822	5035	6692
Trend	100	119	157	208

67. The data shows that while total imports have increased by about 108% compared to the base year the imports from the subject countries have increased by 270% during the same period. Rate of increase in growth of imports from the subject countries from 2002-03 to POI is about 50% indicating a significant volume effect in the domestic market. The imports from other sources have also shown significant increase by 61% over the base year. However, major parts of the imports from these sources are dumped imports and are already subject to antidumping duty.

68. The increase in volume of imports has also been analyzed with respect to the growth in demand and market shares.

Qty in MT

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Total Imports	3213	3822	5035	6692
Trend	100	119	157	208
Domestic sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	118	133
Captive consumption	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	80	98	101

Demand	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	131	159

69. The above data indicates a healthy growth in demand for the subject goods in the domestic market. Whereas total demand of the product shows a growth of 59% over the base year, the imports from the subject countries/territories show a growth of over 270% in the same period. However, the sale of the domestic industry has grown by 33% only.

ii) Demand, Output and Market shares

a) Production of the Domestic Industry

Quantity in MT

Capacity & Production				
	2000-01	**2001-02**	**2002-03**	**POI**
INSTALLED CAPACITY	6,250	8,350	8,800	8,800
Indexed	100	134	141	141
TOTAL PRODUCTION (All NBR)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	130	130	149
GROSS PRODUCTION (NBR BALE ONLY)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	123	121	137
CAPACITY UTILIZATION - %	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	97	92	106

70. The interested parties have argued that the domestic industry has added substantial capacity and the injury, if any, could be attributed to the capacity addition. The Authority notes that the capacity addition in the year 2001-02 and thereafter, are mainly by way of de-bottlenecking in the existing capacity in response to healthy demand scenario for the product in the domestic market. The data also shows domestic industry has improved its production compared to the base year. The capacity utilization has also improved. However, the capacity addition and production when examined with reference to the growth in demand in the domestic market shows that in spite of having spare capacity the growth in production and sale of the domestic producer has been much less than the growth in demand.

71. The domestic industry has argued that in spite of higher demand they have not been able to achieve higher sales proportionate to capacity and production and still has spare capacity of about 10%, which could not be utilized. The domestic industry has claimed that as a result of the adverse NBR operations, the plant has been utilized for production of non-NBR products in order to recover part of the fixed overhead costs.

b) Sales of Domestic Industry

Quantity in MT

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Opening Stock	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	42	145	136
Production (Bale)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	123	121	137
Domestic sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	118	133
Export sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	136	138	179
Captive Consumption	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	80	98	101
Closing Stock	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	341	315	354

72. The data above shows that though the production increased by about 49% compared to the base year and 18% compared to the previous year, the domestic sales has increased by only 33% and 15% during the corresponding periods. The data also shows substantial rise in inventory as the closing stocks have increased by 254% indicating inability of the domestic industry to off-load its production in the domestic market. In fact major increase in the sales is in the export segment though the volume is low.

b) Demand and Market Share

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Import from Subject Countries	633.16	847.06	1708.51	2343.49
Indexed	100	134	270	370
Import from Other Countries	2576.55	2971.54	3320.73	4348.59
Indexed	100	115	129	169
Total Imports	3209.71	3818.60	5029.23	6692.07
Trend	100	126	166	208
Total Domestic Sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	118	133
Captive Consumption	*****	*****	*****	*****
Total Domestic Demand	*****	*****	*****	*****
Trend	100	114	131	159
Share in Demand				
Domestic Industry	54.38%	54.76%	48.97%	45.36%
Subject Countries	7.52%	8.86%	15.43%	17.45%
Others	30.64%	31.10%	30.05%	32.45%

Captive Consumption	7.45%	5.28%	5.55%	4.74%
Total share of imports in Demand	*****%	*****%	*****%	*****%

73. While domestic demand of the product under consideration has increased by about 59% from the base year, the share of the domestic industry in the total demand has significantly declined from 55% to 45% during the same period. However, the share of the dumped imports from the subject countries has increased substantially from 7% to 17%, while share of imports from other sources, including dumped imports from countries attracting duty has marginally increased by about 2%. This indicates that in spite of increase in production and sales by the domestic industry it has lost substantial market share whereas the shares of total imports and dumped imports have increased by over 10%. The above examination indicates that the volume of dumped imports from the subject countries/territories have significantly increased in absolute terms as well as in relation to the growth of total demand and significantly affected the market share of the domestic industry.

(B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

74. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries/territories has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry (worked out after normating the costing information of the Domestic Industry) have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(i) Price undercutting and underselling effects

Particulars		**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
Cost of Sales	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	85.73	90.59	90.96
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	99	92	96
Landed value					
EU (Excluding Germany)	Rs/MT	85417.73	95262.55	80768.24	77132.14
Brazil	Rs/MT	62394.59	74330.72	70184.28	73307.80
Mexico	Rs/MT	32257.42	47868.34	34578.20	46884.19
Subject Countries	Rs/MT	79132.98	83374.90	75948.56	73862.44
Indexed		100	105.36	95.98	93.34
Other Dumped imports	Rs/MT	70330.00	77600.00	74460.00	74100.00
Indexed		100	102.78	98.63	94.79
Price Undercutting					

EU (Excluding Germany)	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Brazil	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Mexico	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Subject Countries	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
EU (Excluding Germany)	%	*****	*****	*****	0 to 5%
Brazil	%	*****	*****	*****	5 to 10%
Mexico	%	*****	*****	*****	60 to 70%
Subject Countries	%	*****	*****	*****	5 to 10%
NIP	Rs/MT				*****
Price Underselling					*****
EU (Excluding Germany)	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Brazil	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Mexico	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
Subject Countries	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
EU (Excluding Germany)	%				5 to 10%
Brazil	%				10 to 20%
Mexico	%				70 to 80%
Subject Countries	%				10 to 20%

75. The selling price (net sales realization) of the domestic industry shows significant decline though the cost of production after showing decline in 2001-02, has increased substantially. The domestic industry has not been able to raise it prices to remunerative levels to realize its full cost of production. At the same time the landed value of imports from the subject countries shows significant decline of about 7% over the base year. The landed value of dumped imports from other sources also shows a decline. However, the Authority notes that these dumped imports are already attracting antidumping duty and therefore, effect of these imports has been neutralized, to the extent duty is applicable on such imports.

76. Price undercutting effect of dumped imports from the subject countries/ territories has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries/territories over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of imports from the subject countries/territories.

77. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

78 For the purpose of price underselling determination the weighted average landed prices of imports from subject countries/territories have been compared

with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI and cost of production for the remaining years.

79. The Authority notes that Imports from the subject countries/territories have been significantly below the net sales realization of the domestic industry as well as the non-injurious price estimated for the domestic industry thus resulting in significant price undercutting and underselling.

(ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

80. The price suppression effect of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries.

81. The trend of cost of production of the subject goods shows significant increase after showing substantial drop in 2001-02. The increase in cost of production is significant due to increase in the cost of raw materials, which constitute major portion of the cost of production. However, the trend of net sales realization of the domestic industry shows significant decline between 2000-01 and 2002-03 and a marginal rise during the POI but still significantly below the cost of production indicating the inability of the domestic industry to raise its prices to recover full cost due to price effects of the dumped imports from the subject countries/territories. In fact it appears that the domestic industry has been forced to benchmark its prices with the landed value from the dumped sources to retain its market share. Therefore, the Authority holds that dumped imports from the subject countries/territories have significant price suppression and depression effects on the prices of the domestic industry.

H.4 Examination of other Injury Parameters

82. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed by the Authority as follows:

i) Actual and potential effect on productivity

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Productivity	Per Employee	*****	*****	*****	*****
Indexed		100.00	124.18	124.35	145.99
Productivity	MT/Day	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	123.21	120.54	136.89

83. Productivity of the domestic industry, measured in terms of its labour productivity of the output and daily output has improved substantially. It appears

that the industry has attempted to improve its productivity to cut cost and remain competitive. However, improved productivity has not resulted in commensurate profitability because of low realization of its sales.

ii) Profits and actual and potential effects on the cash flow

84. Total revenue and cash flow of the domestic industry from its domestic operations shows marginal improvement due to increase in domestic sales. However, after improving its profitability during the year 2001-02, the profitability of the domestic industry has declined and it continues to suffer loss during the POI due to declining per unit realization. The data also shows that in spite of improvement in performance in several parameters industry has not been able to realize a fair price to recover its cost due to prevailing price level of dumped imports. The loss to the domestic industry is significant and material.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Profits					
Cost of Sales	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	85.73	90.60	90.96
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	98.85	92.47	95.58
Profit/Loss	Rs./ MT	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed		(100)	48.49	(71.45)	(43.64)
Total Profit/Loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed		(100)	55.46	(84.58)	(58.04)
Depreciation	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	100.09	96.49	98.37
Cash Profit/Loss from NBR	Rs. Lacs	(*****)	*****	(*****)	*****
Indexed		(100)	325.69	(63.89)	12.01

iii) Employment and wages

85. The employment level has declined marginally. But the expenses on account of salary and wages have increased by about 20%. However, increase in the expenses towards salary and wage is in tandem with the increase in production during the comparable periods. Therefore, this factor does not indicate injury to the domestic industry.

Employment	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
No. of Employee	Nos.	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	104.51	104.51	102.26
Wages	Rs Lacs	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	107.94	113.79	120.15
Wage per Employee	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	103.28	108.88	117.50

iv) Return on investment and ability to raise capital

86. The financial performance of the domestic industry has also been analysed in terms of its cash profits and return on investment. The interested parties have argued that the overall performance of the company has improved. However, the Authority notes that though the overall performance of the Company is good its profit from its NBR operation has shown deteriorating performance after showing a profit in 2001-02. The return on capital employed by the domestic industry shows deterioration after improving in 2001-02.The decline is significant and material.

Rs in Lacs

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 POI
Capital Employed - NFA + Working Capital	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	96.33	101.84	100.52
Profit	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed	(100.00)	55.46	(84.58)	(58.05)
Interest	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	120.79	106.48	75.78
PBIT	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	445.27	146.79	108.42
Return on Capital Employed - NFA + Working Capital	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	462.23	144.14	107.86

v) Investment

87. The Authority notes that domestic industry raised its capacity from 6250 MT to 8800 MT by de-bottlenecking the existing capacity with a capital investment of about ***** Crores. There has been no further fresh investment by the domestic industry during the investigation period and there are no plans for further investment as submitted by them.

vi) Magnitude of Dumping

88. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margins determined against the countries/territories named, for the POI, are significant.

vii) Factors affecting prices

89. Change in cost structure, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other

than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The exporters from the subject countries have argued that the size of the domestic industry's capacity is uneconomical compared to the capacity of the other producers of the subject goods elsewhere and therefore, the cost structure of the domestic industry is uncompetitive. The Authority has examined the cost structure of the responding exporters and their capacities. Though the capacity of one of the Brazilian exporters is about 50% higher than that of the domestic industry, no cost advantage could be established. Therefore, the arguments of the interested parties in this respect do not appear to be valid.

90. Acrylonitrite (ACN) and Butadiene (BD) are two principal raw materials for production of NBR. Prices of both these monomers have increased worldwide. This increase in the prices of major raw materials is reflected in increase in the cost of production for the domestic industry over the injury period after significant decline in 2000-01 and also a marginal increase in the net sales realization of the domestic industry in the POI though it does not recover the full cost to make and sale.

91. The Authority also notes that there is no viable substitute to this product and M/s Apar Industry is the sole producer of the subject good in India and therefore, domestic competition does not affect the prices. Therefore, dumped imports from the subject countries have been found to be competing with the domestic product and affect the prices in the domestic market.

viii) Inventories

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Inventories - at the end of period	MT	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	341	315	213
Inventories as % of production		*****%	*****%	*****%	*****%
Trend	Indexed	100	278.02	263.87	259.33

92. The inventory data of the domestic industry indicates significant inventory built up and inability of the domestic industry to off-load its product in the domestic market.

H.5 Conclusion on injury parameters

93. The interested parties have argued that the Authority must find 'material injury' to sustain the levy of antidumping duty and if the injury determined is negligible the proceedings must be terminated. They have argued that the performance and condition of the domestic industry shows improvement in several parameters. Therefore, injury, if any, is insignificant and cannot be treated as material injury within the meaning of the term in the Agreement.

94. The domestic industry has argued that the Authority need not find injury or deterioration in the performance with reference to all parameters to conclude material injury. The jurisprudence and practices in other member countries justifies conclusion of material injury on account of deterioration in few parameters even when other parameters might be showing improvement.

95. The Authority has taken note of the above arguments and examined various injury parameters to find if the domestic industry has suffered any material injury. The examination of the above economic parameters indicates that though it might appear that the domestic industry has improved its performance in certain parameters, including output and sale volumes, this has not translated into improvement in its profitability and the industry still suffers loss in its domestic operation. Decline in sales realization and financial losses, as well as decline in market share, are significant and material, in spite of improvement in performance in several other parameters, including volume of sales and productivity. Therefore, it is clear that performance of the domestic industry in terms of volume of production, sale and productivity has not been translated to profit and improvement in the market share of the domestic industry.

96. The Authority notes that the Agreement provides for an objective examination of the parameters listed, which are neither exhaustive, nor any one or several of them do provide a clear decisive indication of material injury. Therefore, arguments of the interested parties that improvement in several parameters would amount to insignificant or 'no injury to the domestic industry', does not appear to be tenable. In view if the above the Authority confirms its findings on material injury.

H.6 Other Known factors and Causal Link

97. The Interested parties have argued that the dumped imports are not responsible for the injury if any caused to the domestic industry. They have argued that there are substantial difference between the cost of production and other efficiencies between the domestic industry and the exporters in the subject countries. Therefore, injury if any is due to inefficiency and uneconomical plant size of the domestic industry and cannot be attributed to the dumped imports from the subject countries/territories. They have further argued that due to its limited capacity the applicant is unable to meet the requirement of the domestic demand. The user industry has argued that the scenario of costs and prices have completely changed in the past one year. While the availability is scares and material is supplied on allocation basis dumping is irrelevant because the prices have been continuously moving upwards.

98. The interested parties have further argued that the Authority must segregate and separate the injury caused by imports from other sources like Korea, Germany, Japan and Taiwan as substantial imports have been reported from these sources.

99. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject countries have increased substantially both in absolute terms as well as in relation to the share in demand. The growth of imports from these countries/territories also show a much faster growth compared to the rest and the dumped imports from these sources have significantly displaced the market share of the domestic industry. The landed value of dumped imports from the subject countries also show a significant price undercutting and underselling on the prices of the domestic industry compelling the domestic industry to keep its prices low in order to retain its market share and volume of sales in the domestic market. It also shows that improvement in volume of production and sales has not translated into profit for the domestic industry due to the pulling pressure of the prices of the dumped imports establishing a clear causal link between the dumped imports and the injury suffered due to volume and price effects.

100. However, in the light of the arguments of the interested parties that the injury might have been caused by other factors and not the dumped imports from subject countries, the Authority has examined the issue of causal link and other non-attribution factors as laid down in the Rules to segregate injury, if any, caused by other factors. In this regard the following indicative factors as laid down in the Rules have been examined.

i) Volume and prices of imports from other sources

101. Article 3.5 mandates examination of volume and value of imports not sold at dumped prices as a factor for non-attribution analysis. The Authority notes that during the POI, other than the subject countries/territories, imports have taken place from several other countries including Japan, Korea, Germany and Chinese Taipei against which antidumping duty is in force and this volume is also substantial. It is also noted that in separate investigation the Authority has concluded continuation of dumping and injury from Korea and Germany. Therefore, imports from these sources have been treated as dumped imports. The Authority also notes that the antidumping duty paid landed value of goods imported from the sources already attracting duty are above the landed value of the goods imported from the countries involved in the current investigation. The volume of imports from other un-dumped sources is less than 3% of total imports and 1.5% of the total demand. Therefore, the injury caused by the imports from these sources has not been attributed to the dumped imports from the subject countries/territories.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

102. Total domestic demand of the product under consideration, has shown a very significant increase by about 59% during the period of investigation compared to the base year. There is no significant change in consumption

pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

103. The interested parties have argued that the sole domestic producer is trying to create a monopoly market by blocking competition through imposition of antidumping duty. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. M/s Apar Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in the country. There is no restriction on fair trade in the country and imports of the subject goods take place from several countries and compete with the domestic producer. However, major portion of the imports from several sources have either been determined as dumped imports or are under investigation for allegation of dumping. Therefore, the Authority notes that the domestic producer is facing unfair competition from several countries including the subject countries/territories and the current injury to the domestic industry cannot therefore, be attributed to trade restrictive practices or fair competition between foreign and domestic producers.

Iv) Development of technology and export performance

104. The interested parties have argued that the inefficient plant size of the domestic industry is one of the causes of injury suffered by it. The production facilities of the cooperating foreign producer in the subject countries were also verified and it was seen that the producers apply similar production technology. In fact most of the producers in the world use the technology developed by technology leaders like Goodyear. The capacities and volume of production of these producers were also verified. The capacities of these producers, except the Korean producer, are in not very different from the capacity of the domestic producer in India. Therefore, the argument of inefficient capacity or development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry.

105, The Authority notes that the domestic industry has very small export turnover of the product under consideration though it shows steady growth during the investigation period. Therefore, export performance of the domestic industry is very insignificant and does not affect the domestic industry's performance very significantly. Therefore, export performance cannot be attributed as a reason of injury suffered by the domestic industry.

v) Productivity of the Domestic Industry

106. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown substantial improvement. Therefore, productivity is not a

factor, which can be attributed to the injury of the domestic industry. In fact domestic industry has tried to reduce its losses in its domestic operation through improvement in productivity.

107. No other factor which, could have possibly caused injury to the domestic industry, has been brought to the knowledge of Authority.

108. On the basis of the above examination it is concluded that the subject goods exported from the subject countries/territories are at prices far below their normal value, Non Injurious Price of the domestic industry and the average sales realization of the subject goods of the petitioner, and the dumping, injury and causal links has been clearly established

109. The exporters from Brazil in their post disclosure submissions have argued that injurious effects of imports from other sources, mainly Korea should have been separated and causation of imports from Brazils should have been examined. They have further argued that the landed value from Brazil during the POI has in fact increased while there is a clear decline of the prices from other sources. Therefore, Brazilian exports cannot be said to have caused the injury to the domestic industry. However, the Authority notes that the Brazilian exports to India, both individually and cumulatively undercut the domestic selling prices significantly, in spite of the fact that there is a rise in landed value from Brazil. As far as imports from other sources are concerned the causation analysis clearly shows that imports from other sources already attracting antidumping duty, which includes Korean exports, has gone up by 61% while the imports from the subject countries has gone up by 270% during the same period. The market share of the subject countries has gone up by 10%, while share of other dumped sources has gone up by 2% only. The Authority also notes that since other dumped imports are already attracting antidumping duty, price impact of these imports are eliminated to the extent duty protection is available. Therefore, the arguments of the exporters in this respect cannot be sustained.

I Magnitude of Injury and injury margin

110. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been worked out as follows:

Company/ Country	Landed Value	NIP	Injury Margin	Injury Margin Range
M/s Petroflex, Brazil	*****	*****	*****	5 to 15%
M/s Nitriflex, Brazil	*****	*****	*****	10 to 20%
Others Brazil	*****	*****	*****	15 to 25%
EU (Excluding Germany)	*****	*****	*****	10 to 20%
Mexico	*****	*****	*****	40 to 50%

111. The domestic industry, has argued that the Non-injurious Price determined by the Authority is lower than the data/information based on which this determination has been done. They have reiterated their views on several elements of cost and injury margin calculation methodology. However, the Authority notes that consistent practice of the Authority has been followed for determination of the Non-injurious price for the domestic industry and injury margins. Therefore, the arguments of the domestic industry in this respect cannot be sustained.

J. Conclusions

112. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the extent of dumping and injury the authority concludes that:

i) The imports of the subject goods from the subject countries/territories have entered Indian market at less than its normal value in the subject countries/territories.

ii) The domestic industry has suffered material injury; And

iii) The injury has been caused to the domestic industry cumulatively by volume and price effect of dumped imports of the subject goods from the subject countries/territories.

K. Indian industry's interest & other issues

113. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

L. Recommendations

114. Having established positive dumping margin against the subject countries/territories, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive antidumping duty is required to offset dumping and injury to the domestic industry and therefore, recommends imposition of definitive antidumping duty on all imports from the subject countries in the form and manner described below.

115. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col 9 of the table on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	40.02	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) (excluding Powder and carboxylated NBR)	In Bale form	Brazil	Any	M/s Petroflex, Brazil	M/s Petroflex, Brazil	195.08	MT	US$
2	-Do-	-Do-	-Do-	Brazil	Any	M/s Nitriflex, Brazil	M/s Nitriflex Brazil	274.51	MT	US$
3	-Do-	-Do-	-Do-	Brazil	Brazil	Any Other than above	Any	306.55	MT	US$
4	-Do-	-Do-	-Do-	Brazil	Any	Any Other than above	Any	306.55	MT	US$
5	-Do-	-Do-	-Do-	Any	Brazil	Any	Any	306.55	MT	US$
6	-Do-	-Do-	-Do-	EU Except Germany	EU Except Germany	Any	Any	223.19	MT	US$
7	-Do-	-Do-	-Do-	EU Except Germany	Any other than Brazil and Mexico	Any	Any	223.19	MT	US$
8	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than Brazil and Mexico	EU Except Germany	Any	Any	223.19	MT	US$
9	-Do-	-Do-	-Do-	Mexico	Mexico	Any	Any	304.37	MT	US$
10	-Do-	-Do-	-Do-	Mexico	Any Excluding Brazil	Any	Any	304.37	MT	US$
11	-Do-	-Do-	-Do-	Any Excluding Brazil	Mexico	Any	Any	304.37	MT	US$

116. Subject to the above the Authority confirms the preliminary findings dated 30th March 2005.

M. Further Procedures

117. An appeal against the order of the Central Government arising out of this determination shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

118. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time schedules stipulated for this purpose.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.